उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1,
संख्या-12/2016/966/92-1-2016-98डब्लू/2001,
लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-3348/2015 (विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0-18683/2004) राज्य सरकार व अन्य बनाम नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी तथा उसके साथ सम्बद्ध सिविल अपील सं0-3349/2015 (विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0-8330/2005) नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 07-4-2015 को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ रूप से की गयी नियुक्ति की तिथि को initial date of appointment मानते हुये तदर्थ नियुक्ति की तिथि से सहायक अभियंता के पद पर ज्येष्ठता पुनर्निधारित (Re-determine) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जिसका प्रभावी अंश (Operative Portion) निम्नांकित है :-

18.....
.....It is not a case of appointments made without due selection or without vacancy or without qualification or in violation of rules. The larger Bench failed to observe that the appointment of the writ petitioner was not dehors the rules nor by way of stop gap arrangement. The rules had the effect of treating the appointment as a regular appointment from initial date of appointment. In these circumstances, the principle laid down in K.C. Joshi was not applicable. It is not a case where service rendered is either fortuitous or against rules or by way of stop gap arrangement. Applying the principle laid down in Direct Recruit Class II Engineering Officers' Association, the writ petitioner is entitled to count service from 12th June, 1985. Moreover, the department has allowed, the benefit of past service to other similarly placed incumbents as observed in the judgment giving rise to the appeal of the department.

19. Accordingly, we are unable to approve the view taken by the larger Bench to the extent it proceeds on the assumption that past service of the writ petitioner was by way of stop gap arrangement or contrary to the rules.

20. We, therefore, direct the State to redetermine the seniority after hearing the affected parties within six months. It is made clear that benefit of redetermination of seniority at this stage will not disturb holding of posts by any incumbent and except for benefit in pension other benefits to which the writ petitioner may be found entitled will be given only on notional basis.

21. The appeal of the writ petitioner is accordingly allowed to the above extent and appeal of the State is accordingly dismissed."

April 7, 2015

(V. GOPALA GOWDA)
(ADARSH KUMAR GOEL)

2- उपर्युक्त के अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-2075/2006 एस0के0 सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-489/2005 एन0के0 श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11832/2006, विशेष अनुज्ञा याचिका सी.सी. संख्या-2640/2005 को उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 07-4-2015 के आधार पर ही अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 26-10-2015 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है :-

> "Learned counsel for the petitioners submit that the questions that fall for determination in these petitions stand answered in terms of our order dated 7th April, 2015 passed in Secretary, Minor Irrigation Deptt. & R.E.S. v. Narendra Kumar Tripathi - 2015 (4) SCALE 569. They submit that these petitions could also be disposed off in terms of the said judment. We see no reason to decline that prayer.
>
> These special leave petitions and writ petition are accordingly disposed off on terms similar to the one set out in the judgment, mentioned above.
>
> S.L.P. (C) No . . . . . .of 2015 (CC No.2640 of 2005):
>
> Delay condoned.
>
> In the light of our order dated 7th April, 2015 passed in Secretary, Minor Irrigation Deptt. & R.E.S. v. Narendra Kumar Tripathi - 2015 (4) SCALE 569, we do not see the present to be a fit case for our interference.
>
> The special leave petition is accordingly disposed off."

3- प्रथमत: यह सूच्य है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या-451/62-9-95-904(67)/87, दिनांक 04-02-1995 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या-5585/82 एन0के0 अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन, निर्गत की गयी थी। इस रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05-2-90 को निर्णय पारित करके रिट याचिका को स्वीकार करते हुये रिट याचिका में चुनौती दिये गये आदेशों को अपास्त कर दिया गया था।

4- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 05-2-90 के विरूद्ध श्री वी0के0 गोयल तथा अन्य अभियन्ताओं द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या-1805 एवं 1807/93 दाखिल की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 24-2-94 को निर्णय पारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय दिनांक 05-2-90 को निरस्त करते हुए कतिपय निर्देशों सहित, मामले की पुन: सुनवाई करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 24-2-94 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ ने मामले की पुन: सुनवाई की और सुनवाई के पश्चात दिनांक 15-3-2001 को अपना अन्तिम निर्णय घोषित किया, जिसका सुसंगत अंश निम्नवत है :-

> ' ..... Hence, We are of the view that the matter requires reconsideration by the State Government which may pass appropriate orders after giving an opportunity to the petitioner to show cause against the order of deconfirmation and relegating him from serial No. 1 to 40 in the confirmation order and order of confirmation was passed from a subsequent date.
>
> In view of the aforesaid reasons, the writ petition partly succeeds. A writ in the nature of mandamus is issued commanding the State of U.P. to consider the case of the

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

petitioner afresh in accordance with law after giving him an opportunity to the petitioner and pass appropriate orders as indicated in the foregoing paragraph expeditiously, say within 10 weeks from the date of production of the certified copy of this order.

The order dated 12.4.1985 and 15.4.1985 are being quashed."

5- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णयादेश दिनांक 15-3-2001 के अनुपालन में सम्यक विचारोपरान्त मौलिक/नियमित नियुक्ति की तिथि से 02 वर्ष बाद की तिथि से स्थायी किये जाने के आदेश निर्गत किये गये, जिससे याची श्री एन0के0 अग्रवाल तथा संबंधित अन्य समस्त सहायक अभियंतागण की मौलिक नियुक्तियॉ परिशोधित हो गयीं।

6- रिट याचिका संख्या-5585/82 एन0के0 अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य तथा अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15-3-2001 के अनुक्रम में उत्पन्न नवीन परिस्थिति के दृष्टिगत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की कार्यालय ज्ञाप संख्या-451/62-9-95-904 (67)/87, दिनांक 04-2-95 द्वारा निर्गत ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आये और उसी पद पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में संविलीन हुए सहायक अभियंतागण की ज्येष्ठता-संविलियन की तिथि से, लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता-आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची में प्रदर्शित नामों के क्रम में मौलिक नियुक्ति की तिथि से तथा पदोन्नति कोटे के सहायक अभियंतागण की ज्येष्ठता- चयन वर्ष के स्थान पर मौलिक नियुक्ति की तिथि/ विनियमितीकरण की तिथि से अवधारित करते हुये कार्यालय ज्ञाप संख्या-7470/62-3-2001-134डब्लूपी/ 84टीसी, दिनांक 5-10-2001 द्वारा परिशोधित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित करते हुए सहायक अभियंतागण से उनकी आपत्ति/पक्ष-कथन मांगा गया और प्राप्त आपत्तियों/ पक्ष-कथनों का सम्यक निस्तारण करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-8818/62-3-2001-134डब्लूपी /84टीसी, दिनांक 14-12-2001 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की अन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी।

7- उक्त ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में सम्मिलित सहायक अभियंतागण के बाद समय-समय पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त पश्चातवर्ती सहायक अभियंताओं (सिविल) संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची, पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के क्रम में, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1848/92-2012-134डब्लूपी/ 84टीसी, दिनांक 15-6-2012 द्वारा प्रख्यापित की गयी।

8- जहॉ तक मान0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 में उल्लिखित याची श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी की ज्येष्ठता पुनर्निधारित किये जाने का बिन्दु है, इस सम्बन्ध में समग्र पूर्ण स्थिति यह है कि श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जिन्हें तत्समय ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 18-1-1983 द्वारा वर्कचार्ज के अन्तर्गत 'वर्क इंजीनियर' के रूप में सेवायोजित किया गया था तथा कालान्तर में दिसम्बर, 1984 में समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापित रिक्तियों के क्रम में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनोपरान्त उन्हें आदेश दिनांक 12-6-85 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गयी थी और उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली-1989 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा सहायक अभियंता के पद पर विनियमित किया गया था एवं तदनुसार ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में ज्येष्ठता प्रदान की गयी थी, द्वारा वर्क इंजीनियर के रूप में सेवायोजित किये जाने की तिथि अर्थात दिनांक 18-01-1983 से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के अनुतोष हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-9940/2001 दाखिल की गयी। उक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13-2-2003 द्वारा श्री त्रिपाठी की वर्कचार्ज एवं तदर्थ रूप से की गयी सेवा को जोड़कर सहायक अभियंता के पद पर इनकी वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का निर्देश दिया गया था।

9- मा0 उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांक 13-2-2003 शासन की स्थापित कार्मिक नीति अर्थात उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के प्राविधानों के विपरीत होने के कारण शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13-2-2003 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18683/2004 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी योजित की गयी।

10- कनिष्ठ की तिथि से पदोन्नति हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन अस्वीकार किये जाने पर श्री त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में एक अन्य रिट याचिका संख्या-11542/2003 नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गयी, जिसे रिट याचिका संख्या-10504/2004 फरहत हुसैन आजाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ निस्तारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय की वृहद पीठ (larger Bench) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-12-2004 के माध्यम से रिट याचिका संख्या-9940/2001 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व निर्णय दिनांक 13-2-2003 को "पर-इनक्यूरियम" (Per-incuriam) घोषित कर दिया गया।

11- श्री त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 10-12-2004 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8330/2005 योजित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18683/2004 एवं श्री त्रिपाठी द्वारा योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8330/2005 जो क्रमश: सिविल अपील संख्या-3348/2015 एवं सिविल अपील संख्या-3349/2015 के रूप में परिवर्तित हुई, उनकी एक साथ सुनवाई करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को निर्णय/आदेश पारित किया गया, जिसका संगत एवं क्रियात्मक अंश पूर्वोक्त प्रस्तर-1 में अभिलिखित किया जा चुका है।

12- यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयादेश दिनांक 07-4-2015 के अनुक्रम में तदनुसार अपनी ज्येष्ठता पुन: निर्धारित करते हुए पदोन्नति किये जाने के अनुतोष हेतु श्री एम0एम0 श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेच लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के समक्ष रिट याचिका संख्या-637(एस/बी)/2015 योजित की गयी, जिसे अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8-5-2015 को आदेश पारित किया गया है, जिसका संगत एवं क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

> "The Hon'ble Supreme Court has framed six months time limit to take a decision in the matter. Since the controversy involved in the matter is engaging attention of the Principal Secretary of the Personnel Department to be considered in the light of the judgment of the Hon'ble Supreme Court, we feel it appropriate to dispose of the writ petition with direction to the Principal Secretary of the Personnel Department to consider the petitioner's case also during consideration of other matters in terms of judgment passed by the Hon'ble Supreme Court. Impleadment seeker is also being given liberty to raise his objection, if any, before the authority concerned, which shall be taken care in making decision in the matter.
>
> With the aforesaid observations, the writ petition is disposed of finally."

13- श्री एन0के0 त्रिपाठी के प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 के आधार पर ही एक अन्य रिट याचिका संख्या-1100(एस/बी)/1998 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम रियाज अली में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-7-2015 का संगत अंश निम्नवत है :-

> In view of the law laid down by Hon'ble Supreme Court in the case of Secretary, Minor Irrigation Department RES (Supra), we do not find any force in the submission made by learned standing counsel for the state-petitioner. Accordingly, the writ petition being devoid of merit is hereby dismissed.
>
> Since, the petition is pending before this Court since 1998, we hereby direct the State to ensure compliance of the judgment and order dated 6.2.1997 passed by learned Public Services Tribunal in Claim petition No.2150 of 1995 (Riyaz Ali Vs. State of U.P. and Anr.) within a period of three months from the date a certified copy of this judgment is produced before the competent authority.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 28-7-2015 में निर्देश याचिका संख्या-2150/1995 (रियाज अली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) के प्रकरण में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित जिस निर्णय दिनांक 06-2-1997 का उल्लेख किया गया है, उसका विवरण निम्नांकित है :-

> "The Claim petition is allowed. The opposite parties are directed to prepare a fresh seniority list regarding the petitioner reckoning his seniority from the date of appointment like other 51 Assistant Engineers and 20 Assistant Engineers were regularized later on with retrospective effect and thereafter, after placing the petitioner at proper place, they are to consider and promote the petitioner on the post of Executive Engineer w.e.f. 28.1.95, when juniors than him were promoted on the basis of regularization granted to him, with retrospective effect. Till then, the petitioner shall not be displaced from the charge of the Executive Engineer (R.E.S.)till, he is considered for promotion according to his seniority, as dertermined in the aforesaid manner and he is considered for promotion, as aforesaid. Cost is made easy. Let the judgment be complied with within three months from the date of its receipt."

14- मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के पूर्वोलिखित आदेशों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभियंताओं की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 एवं दिनांक 15-6-2012 को निरस्त करते हुए ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत समस्त तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

15- उपरोक्तानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं अन्य संगत आदेशों तथा मान0 उच्च न्यायालय के पूर्वोलिखित आदेशों के समादर में कार्यालय ज्ञाप संख्या-128/2015/5203/92-1-98डब्लू/2001, दिनांक 31-12-2015 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सिविल संवर्ग के सहायक अभियंताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सिविल संवर्ग के अभियन्ताओं (सहायक/अधिशासी/अधीक्षण) के मध्य परिचालित करते हुए उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में उनकी आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी। उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31-12-2015 विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया था। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जिन अभियंताओं द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी थी, उन्हे 07 कार्य दिवस का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये यदि कोई आपत्ति हो तो, प्राप्त कर दिनांक 11-3-2016 तक उपलब्ध कराये जाने का निर्देश शासन के पत्र सं0-15मं0/92-1-2016-98डब्लू/2001, दिनांक 02-3-2016 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 को दिया गया।

16- उपर्युक्त पत्र सं0-15मं0/92-1-2016-98डब्लू/2001, दिनांक 02-3-2016 के अनुक्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं0-जी-3014/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/अन0ज्ये0सू0/आपत्ति/15-16, दिनांक 11-3-2016 के माध्यम से सर्वश्री बृजेश कुमार दूबे, मो0 सिराजुद्दीन अहमद खॉ, कुँवर सुरेन्द्र प्रताप, केदार नाथ वर्मा, अनिल कुमार शर्मा एवं मो0 रिजवान साबिर खॉ द्वारा की गयी आपत्तियॉ शासन को उपलब्ध करायी गयी।

17- इस प्रकार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-128/2015/5203/92-1-98डब्लू/ 2001, दिनांक 31-12-2015 एवं पत्र सं0-15मं0/92-1-2016-98डब्लू/2001, दिनांक 02-3-2016 के अनुक्रम में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 31-12-2015 के सम्बन्ध में जो आपत्तियां प्राप्त हुईं, उन्हें निम्नवत वर्गीकृत करके उन पर विचार करने के उपरान्त, निम्नवत शासकीय दृष्टिकोण अंकित करते हुए एतद्द्वारा उसका निस्तारण किया जाता है:-

(क) याची श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां ,

(ख) ऐसे सहायक अभियंताओं की आपत्तियां, जो याची श्री एन0के0 त्रिपाठी के समान ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तदर्थ रूप से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुए ,

(ग) ऐसे सहायक अभियंताओं की आपत्तियां, जो लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित होकर सहायक अभियंता के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हुए , तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(घ) ऐसे सहायक अभियंताओं की आपत्ति, जिनकी जन्मतिथि, वरिष्ठता क्रमांक, गृह जनपद अथवा नाम इत्यादि का अंकन अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो गया है, उसे सही किये जाने के संबंध में।

(क) इस वर्ग में याची श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सम्मिलित किया गया है, जिनके द्वारा पत्र दिनांक 31-12-2015 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) उनकी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक 18-1-1983 को वर्कचार्ज के अन्तर्गत सहायक अभियंता के रूप में हुई थी और वे तभी से इस विभाग में निरन्तर कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि 12 जून, 1985 अंकित किया जाना त्रुटिपूर्ण है। मा0 उच्च न्यायालय में उनके द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-9940/2001 में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 13-2-2003 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 18 जनवरी, 1983 से ज्येष्ठता प्रदान करते हुए वर्ष 2001 में जारी ज्येष्ठता सूची को संशोधित करने के आदेश दिये गये थे। पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर याची श्री त्रिपाठी द्वारा वर्कचार्ज सहायक अभियंता के रूप में प्रथम नियुक्ति की तिथि दिनांक 18-1-1983 से ज्येष्ठता न देकर तदर्थ नियुक्ति की तिथि 12-6-1985 से ज्येष्ठता दिये जाने को अन्यायपूर्ण मानते हुए यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा कभी भी 12-6-1985 से ज्येष्ठता नहीं मांगी गयी थी।

(2) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची श्री त्रिपाठी द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(3) वर्ष 1985 में किये गये चयन से संबंधित विज्ञापन जो 1984 के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, में भी अनुभव को वरीयता दिये जाने का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि विभाग में पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाने पर सीधी भर्ती के अन्य अभ्यर्थियों से ऊपर रखा जाना चाहिए था, जो तत्समय नहीं किया जा सका और याची के पूर्व से कार्यरत होने का संज्ञान लिये बिना आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं को पहले नियुक्ति पत्र जारी कर सामान्य सूची में भी बिना किसी आधार के नीचे क्रमांक-32 पर रख दिया गया है, जो अनुचित है।

(4) वर्ष 1985 में निर्गत चयन सूची ज्येष्ठता क्रमानुसार न होने की स्थिति में अब जबकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में सम्पूर्ण ज्येष्ठता सूची संशोधित की जा रही है, तो अब तक हुए अन्याय को दूर करने की दृष्टि से वर्ष 1985 में जारी विभिन्न नियुक्ति आदेशों में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की एक संयुक्त सूची जारी करते हुए निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों को क्रमबद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

1- इस विभाग में पूर्व से वर्कचार्ज में कार्यरत अभियंताओं के नाम आपसी क्रम में सबसे ऊपर।

2- सामान्य श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के नाम, वर्तमान में कोई श्रेष्ठता सूची उपलब्ध न होने के कारण जन्मतिथि के क्रमानुसार तथा एक ही जन्म तिथि होने पर नाम के वर्णानुक्रम में।

3- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के नाम भी जन्म तिथि के उपरोक्त क्रमानुसार।

(5) उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (भाग-2) में उल्लिखित "पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति से कनिष्ठ होंगे।" तथ्य के आधार पर श्री त्रिपाठी द्वारा वर्कचार्ज इंजीनियर के रूप में दिनांक 18-01-1983 से की गयी सेवा के आधार पर दिनांक 24-01-1983 में नियुक्त श्री हयात हुसैन खॉ (अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-125) से ऊपर रखते हुए ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) श्री त्रिपाठी की शैक्षिक योग्यता बी0टेक0 एग्रीकल्चर अंकित की गयी है, जबकि उनके द्वारा ए0एम0आई0 सिविल इंजीनियरिंग (समतुल्य बी0टेक0 सिविल) एवं एम0टेक0 सिविल की उपाधि भी ग्रहण की गयी है। अत: ज्येष्ठता सूची में उक्त तीनो उपाधियों अथवा तीनों में सर्वोच्च उपाधि एम0टेक0 सिविल का उल्लेख संगत स्थान पर किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों में उल्लिखित तथ्यों का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है :-

(1) वर्कचार्ज के रूप में की गयी सेवाओं का लाभ ज्येष्ठता निर्धारण में दिये जाने का प्राविधान उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में नहीं किया गया है। श्री त्रिपाठी द्वारा किस नियम के अन्तर्गत वर्कचार्ज के रूप में की गयी सेवाओं का लाभ ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में किये जाने का अनुरोध किया गया है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-3348/2015 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विषयगत निर्णय दिनांक 07-4-2015 के पृष्ठ-6 पर पैरा-11 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि- "It was made clear by learned counsel for the writ petitioner that the claim of the writ petitioner was limited for counting service from 12th June, 1985 when he was appointed after due selection in regular pay scale." "स्पष्टतया: श्री त्रिपाठी की ज्येष्ठता उनकी वर्कचार्ज की नियुक्ति की तिथि दिनांक 18-01-1983 से निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता, अपितु मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 07-4-2015 के आलोक में उनकी ज्येष्ठता, उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि 12-6-1985 से ही निर्धारित की जा रही है।" मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 07-4-2015 के समादर में ही ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए पूर्व निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 एवं दिनांक 15-6-2012 को निरस्त करते हुए कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31-12-2015 को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार समस्त प्रभावित पक्षों की आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं।

अत: उक्त वर्णित स्थिति में याची श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां आधारहीन पाते हुए तदनुसार निस्तारित की जाती है।

(2) वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तथा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित उपर्युक्त प्राविधान के अनुसार श्री त्रिपाठी को नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(3) श्री त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों के निस्तारण से सम्बन्धित बिन्दु सं0-1 के अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-3348/2015 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विषयगत निर्णय दिनांक 07-4-2015 के पृष्ठ-6 पर पैरा-11 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि- "It was made clear by learned counsel for the writ petitioner that the claim of the writ petitioner was limited for counting service from 12th June, 1985 when he was appointed after due selection in regular pay scale." "स्पष्टतया: श्री त्रिपाठी की ज्येष्ठता उनकी वर्कचार्ज की नियुक्ति की तिथि दिनांक 18-01-1983 से निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता, अपितु मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 07-4-2015 के आलोक में उनकी ज्येष्ठता, उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि 12-6-1985 से ही निर्धारित की जा सकती है।" अत: इस सम्बन्ध में श्री त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आधारहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

(4) श्री त्रिपाठी द्वारा स्वहित में अपना नाम ऐन-केन-प्रकारेण किसी भी दशा में ज्येष्ठता सूची में ऊपर रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो पूवोक्त श्री त्रिपाठी की आपत्तियों के निस्तारण से सम्बन्धित उक्त प्रस्तर-1,2 एवं 3 के अनुसार आधारहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

(5) उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के (भाग-2) के प्रस्तर-5 में यह प्राविधान किया गया है कि "जहॉ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियों केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो, वहॉ किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर जयेष्ठता वही होगी, जो यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी है:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति से कनिष्ठ रहेंगे।" इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्येष्ठता नियमावली में उपर्युक्त प्राविधान केवल सीधी भर्ती के माध्यम से की गयी नियुक्तियों के परिप्रेक्ष्य में की गयी है तथा भिन्न परिदृश्य में प्राविधानित की गयी व्यवस्था के आधार पर श्री त्रिपाठी द्वारा भिन्न तथ्यों का उल्लेख करते हुये ज्येष्ठता प्रदान किये जाने हेतु की गयी आपत्ति आधारहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

(6) श्री त्रिपाठी द्वारा शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उनके द्वारा एम0टेक (सिविल) की द्विवर्षीय डिग्री वर्ष 2009 में जनार्दन राय नगर, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय से प्राप्त की गयी है, जबकि ए0एम0आई0सी0ई0 (सिविल) समतुल्य ग्रेजुएशन की डिग्री वर्ष 2011 में प्राप्त की गयी है। श्री त्रिपाठी द्वारा पूर्वोक्त प्रस्तुत की गयी डिग्री से सम्बन्धित परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु विभागीय अनुमति/अवकाश की स्वीकृति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही संलग्न की गयी प्रमाण-पत्र की छाया प्रतियॉ प्रमाणित की गयी हैं। अत: वर्णित स्थिति में श्री त्रिपाठी द्वारा डिग्री से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की प्रमाणितकता सिद्ध हो जाने के उपरान्त ही उनकी शैक्षिक योग्यता में इन डिग्रियों को सम्मिलित किया जाना सम्भव होगा।

(ख) इस वर्ग में उन अधिकारियों की आपत्तियों को संकलित करते हुए, उसका निस्तारण किया गया है, जो याची श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी के समान ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तदर्थ रूप से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुए थे।

इस वर्ग में कुल 42 अधिकारियों की आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिसमें सर्वश्री-फखरूद्दीन खॉन, आफताब अहमद खॉन, रऊफ अहमद, के0ए0 सिद्दीकी, मुकेश गुप्ता, मनोज कुमार गर्ग, महेश चन्द्र शर्मा, बाल कृष्ण, मो0 नूर आलम, मो0 मोअज्जम बेग, सैयद जव्वार हुसैन, मदन मोहन श्रीवास्तव, महेश्वर सिंह, पृथ्वीराज राय, माधव सक्सेना, सी0पी0 सिंह, हुमायूँ जाह, रियाज अली, संजय अग्रवाल, ए0आर0 खांन, अजय सिंघल, सुधीर प्रकाश गुप्ता, सुरेश कुमार दीक्षित, के0जे0 अहमद, राजेश कुमार सचान, परवेज अली खॉ, जिलेदार खॉ, मो0 अकरम, नरेन्द्र कुमार (द्वितीय), दीन दयाल पाठक, राजीव कुमार श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश गुप्ता, राजेश गोयल, श्री नवल किशोर श्रीवास्तव, मो0 रिजवान साबिर खॉ, सुरेश चन्द्र, राजीव कुमार गुप्ता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

केदार नाथ वर्मा, नरसिंह नारायण गिरि, चन्द्र भूषण पाण्डेय, इकरामुल हक खॉन एवं श्री सिराजुद्दीन अहमद खॉ की आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

उक्त अभियंताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियॉ एवं उनका निस्तारण क्रमवार निम्नवत किया जा रहा है :-

(1) **फखरूद्दीन खान** द्वारा पत्र दिनांक रहित के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची श्री फखरूद्दीन खान द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री फखरूद्दीन खान द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री खान को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) **श्री आफताब अहमद खान** द्वारा पत्र दिनांक 14-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची श्री आफताब अहमद खान द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री आफताब अहमद खान द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री खान को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(3) **श्री रऊफ अहमद** द्वारा पत्र दिनांक 11-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची श्री रऊफ अहमद द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री रऊफ अहमद द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री अहमद को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(4) **श्री के0ए0 सिद्दीकी** द्वारा पत्र दिनांक 14-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची श्री के0ए0 सिद्दीकी द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री के0ए0 सिद्दीकी द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री सिद्दीकी को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(5) **श्री मुकेश गुप्ता** द्वारा पत्र दिनांक 14-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची श्री मुकेश गुप्ता द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री मुकेश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री गुप्ता को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक से उनके नाम सूचीबद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(6) **श्री मनोज कुमार गर्ग** द्वारा पत्र दिनांक 14-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची श्री मनोज कुमार गर्ग द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री मनोज कुमार गर्ग द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री गर्ग को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(7) **श्री महेश चन्द्र शर्मा** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री शर्मा को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(8) **श्री बालकृष्ण** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची श्री बालकृष्ण द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री बालकृष्ण द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री बालकृष्ण को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(9) **श्री मो0 नूर आलम** द्वारा पत्र दिनांक रहित के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची श्री मो0 नूर आलम द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री मो0 नूर आलम द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री मो0 नूर आलम को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(10) **श्री मो0 मुअज्जम बेग** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त 115 सहायक अभियंताओं का चयन उ0प्र0 शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का निर्धारण करते हुए नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त इन 115 सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची का निर्धारण साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाना चाहिए, जबकि इसका निर्धारण नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि से किया जा रहा है, जो नियमत: ठीक नहीं है। यदि विभाग के पास साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की सूची उपलब्ध नहीं है, तो सामान्य श्रेणी के अभियंताओं को वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री मौ0 मुअज्जम बेग द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री बेग को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(11) **श्री सै0 जव्वार हुसैन** द्वारा पत्र दिनांक 11-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची श्री सै0 जव्वार हुसैन द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री सै0 जव्वार हुसैन द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री सै0 जव्वार हुसैन को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(12) **श्री मदन मोहन श्रीवास्तव** द्वारा पत्र दिनांक 05-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

शासनादेश दिनांक 12-1-79 द्वारा उनकी प्रथम नियुक्ति तदर्थ/अस्थायी रूप से सहायक अभियंता के पद पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के उपरान्त की गयी थी। यह नियुक्ति विभागीय सभी प्रक्रिया जैसे समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं विभागीय चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की सूची मुख्य अभियंता द्वारा शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त शासन द्वारा की गयी थी। यह नियुक्ति अस्थायी/तदर्थ रूप से लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित रूप से नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक की गयी थी। लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित होने की सूचना उन्हें शासन के विज्ञप्ति दिनांक 24-10-1983 द्वारा प्रदान की गयी थी।

उपर्युक्त तथ्यों के साथ ही श्री मदन मोहन श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक 12-01-1979 से निर्धारित की गयी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में उल्लेख किया जाना है कि श्री मदन मोहन श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के समादर में तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जा रही ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी है, अपितु अपनी तदर्थ रूप से नियुक्ति एवं लोक सेवा आयोग से प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुमोदन का उल्लेख करते हुए तदर्थ नियुक्ति की तिथि से प्रदान की गयी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाना है कि पूर्वोक्त प्रस्तर-1, 2, 12 एवं 13 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-4-2015, 26-10-2015 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08-5-2015 एवं 28-7-2015 के समादर में सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता दिनांक 14-12-2001 एवं दिनांक 15-6-2012 को निरस्त करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत समस्त तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार विभाग के अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(13) **श्री महेश्वर सिंह**, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र दिनांक 15-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-

(1) क्रमांक-48, 50, 51, 56 एवं 74 पर अंकित सहायक अभियंता सर्वश्री-मदन मोहन श्रीवास्तव, चन्द्र भूषण पाण्डेय, महमूद इलाही, राजेन्द्र प्रसाद शाक्य एवं धीरेन्द्र सहाय विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए थे, परन्तु कालान्तर में लोक सेवा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे किये गये आवेदन पर चयनित होकर वर्ष 1983 में आयोग की चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित हुए। क्रमांक-48, 50, 51, 56 एवं 74 में अंकित अभियंताओं की तदर्थ नियुक्ति, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्ति के विनियमितीकरण नियमावली 1979 यथा संशोधन 1984 एवं 1989 के अन्तर्गत विनियमित नहीं हुई है। इस प्रकार जिन अभियंताओं की तदर्थ नियुक्ति का विनियमितीकरण, विनियमितीकरण नियमावली-1979 के नियमों के अन्तर्गत विनियमित नहीं की गयी है, उन्हें तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है। अत: इन्हें वर्ष 1983 के लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिनके नाम क्रमश: 127 से 140 पर स्थापित हैं, के मध्य आयोग के चयनित अभ्यर्थियों की (1983) की श्रेष्ठता क्रम में अंकित किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्म्त होगा।

(2) क्रमांक-52, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, एवं 65 पर अंकित सहायक अभियंताओं क्रमश: सर्वश्री- पृथ्वी राज राय, बलराम केसरी, चन्दन लाल, मंजूर अहमद, प्रदीप कुमार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गुप्ता, माधव सक्सेना, सतीश कुमार त्रिपाठी, उमेश चन्द्र राय एवं महेश्वर सिंह के नाम के सम्मुख कालम-10 में अंकित विनियमितीकरण की तिथि 13-9-1984 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में यह तिथि 13-6-1984 है।

(3) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी अन्य प्रकरण में पारित निर्णय के निम्नवत कार्यकारी अंश का उल्लेख करते हुए श्री महेश्वर सिंह द्वारा तदर्थ नियुक्ति की तिथि 31-8-1979 से ज्येष्ठता का लाभ प्रदत्त करते हुए ज्येष्ठता सूची का अन्तिमीकरण करने तथा अन्तिम ज्येष्ठता के अनुसार उनसे कनिष्ठ क्रम पर स्थापित अभियंता को दिये गये पदोन्नति, समयमान वेतनमान एवं अन्य समस्त सेवा लाभों को नोशनल रूप में प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

"It has been held in 1989 (2) SLVR (2)-79 Smt. Prema Devi V/s Delhi Administration by Hon'ble Supreme Court that case of employee having being decided, the other employee identically placed brought to have been given the same benefits which will prevent unnecessary litigation and waste of time."

श्री महेश्वर सिंह द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है :-

(1) क्रमांक-48, 50, 51, 56 एवं 74 पर अंकित सहायक अभियंता सर्वश्री-मदन मोहन श्रीवास्तव, चन्द्र भूषण पाण्डेय, महमूद इलाही, राजेन्द्र प्रसाद शाक्य एवं धीरेन्द्र सहाय विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए थे, परन्तु कालान्तर में लोक सेवा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष किये गये आवेदन पर चयनित होकर वर्ष 1983 में आयोग की चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित हुए। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 के आलोक में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है। अत: इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी आपत्ति निराधार होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

(2) क्रमांक-52, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, एवं 65 पर अंकित सहायक अभियंताओं क्रमश: सर्वश्री- पृथ्वी राज राय, बलराम केसरी, चन्दन लाल, मंजूर अहमद, प्रदीप कुमार गुप्ता, माधव सक्सेना, सतीश कुमार त्रिपाठी, उमेश चन्द्र राय एवं महेश्वर सिंह के नाम के सम्मुख कालम-10 में अंकित विनियमितीकरण की तिथि 13-9-1984 के स्थान पर वास्तविक तिथि 13-6-1984 अंकित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी आपत्ति की पुष्टि इनकी विनियमितीकरण से सम्बन्धित पत्रावली सं0-42आरईएस/84 के परीक्षणोपरान्त हो जाने तथा इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति/विनियमितीकरण आदेश सं0-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6407/62-3-98, दिनांक 17-12-1999 का अवलोकन किये जाने के उपरान्त इस सम्बन्ध में की गयी आपत्ति स्वीकार करते हुये इन अभियंताओं के विनियमितीकरण की तिथि संलग्न सूची में यथानुसार 13-6-1984 अंकित कर दी गयी है।

(3) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को पारित निर्णय में तदर्थ सेवा को जयेष्ठता की गणना किये जाने एवं तदनुसार ज्येष्ठता का पुनर्निर्धारण किये जाने को 'सिद्धान्त' के रूप में प्रतिपादित किया गया है। वर्णित स्थिति में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के समादर में सभी प्रभावित पक्षों की आपत्तियां प्राप्त कर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित की जा रही है।

(14) **श्री पृथ्वी राज राय**, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारा पत्र दिनांक 15-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-

(1) क्रमांक-48, 50, 51, 56 एवं 74 पर अंकित सहायक अभियंता सर्वश्री-मदन मोहन श्रीवास्तव, चन्द्र भूषण पाण्डेय, महमूद इलाही, राजेन्द्र प्रसाद शाक्य एवं धीरेन्द्र सहाय विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए थे, परन्तु कालान्तर में लोक सेवा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे किये गये आवेदन पर चयनित होकर वर्ष 1983 में आयोग की चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित हुए। क्रमांक-48, 50, 51, 56 एवं 74 में अंकित अभियंताओं की तदर्थ नियुक्ति, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्ति के विनियमितीकरण नियमावली 1979 यथा संशोधन 1984 एवं 1989 के अन्तर्गत विनियमित नहीं हुई है। इस प्रकार जिन अभियंताओं की तदर्थ नियुक्ति का विनियमितीकरण, विनियमितीकरण नियमावली-1979 के नियमों के अन्तर्गत विनियमित नहीं की गयी है, उन्हें तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है। अत: इन्हें वर्ष 1983 के लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिनके नाम क्रमश: 127 से 140 पर स्थापित हैं, के मध्य आयोग के चयनित अभ्यर्थियों की (1983) की श्रेष्ठता क्रम में अंकित किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्म्त होगा।

(2) क्रमांक-52, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, एवं 65 पर अंकित सहायक अभियंताओं क्रमश: सर्वश्री- पृथ्वी राज राय, बलराम केसरी, चन्दन लाल, मंजूर अहमद, प्रदीप कुमार गुप्ता, माधव सक्सेना, सतीश कुमार त्रिपाठी, उमेश चन्द्र राय एवं महेश्वर सिंह के नाम के सम्मुख कालम-10 में अंकित विनियमितीकरण की तिथि 13-9-1984 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में यह तिथि 13-6-1984 है।

(3) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी अन्य प्रकरण में पारित निर्णय के निम्नवत कार्यकारी अंश का उल्लेख करते हुए श्री पृथ्वी राज राय द्वारा तदर्थ नियुक्ति की तिथि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

31-8-1979 से ज्येष्ठता का लाभ प्रदत्त करते हुए ज्येष्ठता सूची का अन्तिमीकरण करने तथा अन्तिम ज्येष्ठता के अनुसार उनसे कनिष्ठ क्रम पर स्थापित अभियंता को दिये गये पदोन्नति, समयमान वेतनमान एवं अन्य समस्त सेवा लाभों को नोशनल रूप में प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

"It has been held in 1989 (2) SLVR (2)-79 Smt. Prema Devi V/s Delhi Administration by Hon'ble Supreme Court that case of employee having being decided, the other employee identically placed brought to have been given the same benefits which will prevent unnecessary litigation and waste of time."

श्री पृथ्वी राज राय द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है :-

(1) क्रमांक-48, 50, 51, 56 एवं 74 पर अंकित सहायक अभियंता सर्वश्री-मदन मोहन श्रीवास्तव, चन्द्र भूषण पाण्डेय, महमूद इलाही, राजेन्द्र प्रसाद शाक्य एवं धीरेन्द्र सहाय विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए थे, परन्तु कालान्तर में लोक सेवा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष किये गये आवेदन पर चयनित होकर वर्ष 1983 में आयोग की चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित हुए। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 के आलोक में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है। अत: इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी आपत्ति निराधार होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

(2) क्रमांक-52, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, एवं 65 पर अंकित सहायक अभियंताओं क्रमश: सर्वश्री- पृथ्वी राज राय, बलराम केसरी, चन्दन लाल, मंजूर अहमद, प्रदीप कुमार गुप्ता, माधव सक्सेना, सतीश कुमार त्रिपाठी, उमेश चन्द्र राय एवं महेश्वर सिंह के नाम के सम्मुख कालम-10 में अंकित विनियमितीकरण की तिथि 13-9-1984 के स्थान पर वास्तविक तिथि 13-6-1984 अंकित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी आपत्ति की पुष्टि इनकी विनियमितीकरण से सम्बन्धित पत्रावली सं0-42आरईएस/84 के परीक्षणोपरान्त हो जाने तथा इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति/विनियमितीकरण आदेश सं0-6407/62-3-98, दिनांक 17-12-1999 का अवलोकन किये जाने के उपरान्त इस सम्बन्ध में की गयी आपत्ति स्वीकार करते हुये इन अभियंताओं के विनियमितीकरण की तिथि संलग्न सूची में यथानुसार 13-6-1984 अंकित कर दी गयी है।

(3) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को पारित निर्णय में तदर्थ सेवा को जयेष्ठता की गणना किये जाने एवं तदनुसार ज्येष्ठता का पुनर्निर्धारण किये जाने को 'सिद्धान्त' के रूप में प्रतिपादित किया गया है। वर्णित स्थिति में मा0 उच्चतम न्यायालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के आदेश दिनांक 07-4-2015 के समादर में सभी प्रभावित पक्षों की आपत्तियां प्राप्त कर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित की जा रही है।

(15) **श्री माधव सक्सेना**, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारा पत्र दिनांक 15-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-

(1) क्रमांक-48, 50, 51, 56 एवं 74 पर अंकित सहायक अभियंता सर्वश्री-मदन मोहन श्रीवास्तव, चन्द्र भूषण पाण्डेय, महमूद इलाही, राजेन्द्र प्रसाद शाक्य एवं धीरेन्द्र सहाय विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए थे, परन्तु कालान्तर में लोक सेवा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे किये गये आवेदन पर चयनित होकर वर्ष 1983 में आयोग की चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित हुए। क्रमांक-48, 50, 51, 56 एवं 74 में अंकित अभियंताओं की तदर्थ नियुक्ति, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्ति के विनियमितीकरण नियमावली 1979 यथा संशोधन 1984 एवं 1989 के अन्तर्गत विनियमित नहीं हुई है। इस प्रकार जिन अभियंताओं की तदर्थ नियुक्ति का विनियमितीकरण, विनियमितीकरण नियमावली-1979 के नियमों के अन्तर्गत विनियमित नहीं की गयी है, उन्हें तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है। अत: इन्हें वर्ष 1983 के लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिनके नाम क्रमश: 127 से 140 पर स्थापित हैं, के मध्य आयोग के चयनित अभ्यर्थियों की (1983) की श्रेष्ठता क्रम में अंकित किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्म्त होगा।

(2) क्रमांक-52, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, एवं 65 पर अंकित सहायक अभियंताओं क्रमश: सर्वश्री- पृथ्वी राज राय, बलराम केसरी, चन्दन लाल, मंजूर अहमद, प्रदीप कुमार गुप्ता, माधव सक्सेना, सतीश कुमार त्रिपाठी, उमेश चन्द्र राय एवं महेश्वर सिंह के नाम के सम्मुख कालम-10 में अंकित विनियमितीकरण की तिथि 13-9-1984 के स्थान पर शासन के विज्ञप्ति/विनियमितीकरण आदेश संख्या-6407/62-3-98, दिनांक 17-12-1999 द्वारा दिनांक 13-6-1984 किये जाने के संबंध में अभिलेखों से पुष्टि हो जाने के फलस्वरूप विनियमितीकरण की वास्तविक तिथि 13-6-1984 अंकित कर दी गयी है।

(3) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी अन्य प्रकरण में पारित निर्णय के निम्नवत कार्यकारी अंश का उल्लेख करते हुए श्री माधव सक्सेना द्वारा तदर्थ नियुक्ति की तिथि 31-8-1979 से ज्येष्ठता का लाभ प्रदत्त करते हुए ज्येष्ठता सूची का अन्तिमीकरण करने तथा अन्तिम ज्येष्ठता के अनुसार उनसे कनिष्ठ क्रम पर स्थापित अभियंता को दिये गये पदोन्नति, समयमान वेतनमान एवं अन्य समस्त सेवा लाभों को नोशनल रूप में प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

"It has been held in 1989 (2) SLVR (2)-79 Smt. Prema Devi V/s Delhi Administration by Hon'ble Supreme Court that case of employee having being decided, the other employee identically placed brought to have been given the same benefits which will prevent unnecessary litigation and waste of time."

श्री माधव सक्सेना द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है :-

(1) क्रमांक-48, 50, 51, 56 एवं 74 पर अंकित सहायक अभियंता सर्वश्री-मदन मोहन श्रीवास्तव, चन्द्र भूषण पाण्डेय, महमूद इलाही, राजेन्द्र प्रसाद शाक्य एवं धीरेन्द्र सहाय विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए थे, परन्तु कालान्तर में लोक सेवा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष किये गये आवेदन पर चयनित होकर वर्ष 1983 में आयोग की चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित हुए। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 के आलोक में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है। अत: इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी आपत्ति निराधार होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

(2) क्रमांक-52, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, एवं 65 पर अंकित सहायक अभियंताओं क्रमश: सर्वश्री- पृथ्वी राज राय, बलराम केसरी, चन्दन लाल, मंजूर अहमद, प्रदीप कुमार गुप्ता, माधव सक्सेना, सतीश कुमार त्रिपाठी, उमेश चन्द्र राय एवं महेश्वर सिंह के नाम के सम्मुख कालम-10 में अंकित विनियमितीकरण की तिथि 13-9-1984 के स्थान पर वास्तविक तिथि 13-6-1984 अंकित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी आपत्ति की पुष्टि इनकी विनियमितीकरण से सम्बन्धित पत्रावली सं0-42आरईएस/84 के परीक्षणोपरान्त हो जाने तथा इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति/विनियमितीकरण आदेश सं0-6407/62-3-98, दिनांक 17-12-1999 का अवलोकन किये जाने के उपरान्त इस सम्बन्ध में की गयी आपत्ति स्वीकार करते हुये इन अभियंताओं के विनियमितीकरण की तिथि संलग्न सूची में यथानुसार 13-6-1984 अंकित कर दी गयी है।

(3) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को पारित निर्णय में तदर्थ सेवा को जयेष्ठता की गणना किये जाने एवं तदनुसार ज्येष्ठता का पुनर्निर्धारण किये जाने को 'सिद्धान्त' के रूप में प्रतिपादित किया गया है। वर्णित स्थिति में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के समादर में सभी प्रभावित पक्षों की आपत्तियां प्राप्त कर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

16- **श्री सी0पी0 सिंह**, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता द्वारा पत्र दिनांक 01-12-2015 के माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के क्रम में विशेष अनुज्ञा याचिका(सी) सं0 11832/2006 सी0पी0 सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26-10-2015 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए वर्ष 1983-84 की ज्येष्ठता प्रदान कर नोशनल प्रमोशन, वेतन निर्धारण तथा पेंशन का पुन: संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में उल्लेख किया जाना है कि पूर्वोक्त प्रस्तर-1, 2, 12 एवं 13 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-4-2015, 26-10-2015 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08-5-2015 एवं 28-7-2015 के समादर में सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता दिनांक 14-12-2001 एवं दिनांक 15-6-2012 को निरस्त करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत समस्त तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार विभाग के अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(17) **श्री एस0एम0एच0 जाह,** अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा दिनांक 31-12-2015 के माध्यम से निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी कराते हुए उनसे कनिष्ठ को दिये गये लाभों को नोशनल रूप में प्रदान कर नियमित प्रोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में उल्लेख किया जाना है कि श्री सी0पी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण किये जाने सम्बन्धी उपर्युक्त प्रस्तर-16 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(18) **श्री रियाज अली**, प्रभारी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा रिट याचिका संख्या-1100(एस/बी)/98, उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम रियाज अली व अन्य में दिनांक 28-7-2015 को पारित आदेश तथा दिनांक 31-12-2015 के माध्यम से निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी कराते हुए उनसे कनिष्ठ को दिये गये लाभों को नोशनल रूप में प्रदान कर नियमित प्रोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में उल्लेख किया जाना है कि पूर्वोक्त प्रस्तर-1, 2, 12 एवं 13 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-4-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2015, 26-10-2015 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08-5-2015 एवं 28-7-2015 के समादर में सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता दिनांक 14-12-2001 एवं दिनांक 15-6-2012 को निरस्त करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत समस्त तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार विभाग के अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) **श्री संजय अग्रवाल** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री संजय अग्रवाल** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री संजय अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: श्री संजय अग्रवाल को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रेजन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(20) **श्री ए0आर0 खान** द्वारा पत्र दिनांक 11-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री ए0आर0 खान** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री ए0आर0 खान द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री ए0आर0 खान** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(21) **श्री अजय सिंघल** द्वारा पत्र दिनांक 13-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री अजय सिंघल** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री अजय सिंघल द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री अजय सिंघल** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(22) **श्री सुधीर प्रकाश गुप्ता** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री सुधीर प्रकाश गुप्ता** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री सुधीर प्रकाश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री सुधीर प्रकाश गुप्ता** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(23) **श्री सुरेश कुमार दीक्षित** द्वारा पत्र दिनांक 14-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री सुरेश कुमार दीक्षित** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार दीक्षित द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री सुरेश कुमार दीक्षित** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(24) **श्री खुशतर जलीस अहमद** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) शासनादेश संख्या-4162, दिनांक 25-4-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "यह सूची श्रेष्ठताक्रम में नहीं है। अत: इस सूची के आधार पर एक ही तिथि पर एक से अधिक नियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति के आदेश के क्रम में ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती।

(2) सहायक अभियंताओं का पद लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत आता है। अत: इन पदों पर नियमित चयन लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया जा सकता है। अत: लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक अभियंताओं को लोक सेवा आयोग द्वारा अयोग्य पाये गये सहायक अभियंताओं से नीचे नहीं रखा जा सकता है।

(3) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के अनुपालन में जारी उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची सहायक अभियंताओं के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त एवं कालान्तर में उक्त पद पर विनियमित सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से निर्धारित किये जाने के सिद्धान्त को "Thumb rule" के रूप में स्वीकार करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करने का निर्णय लिया गया है। एक ही तिथि पर एक से अधिक नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनकी नियमित नियुक्ति की तिथि के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए थी, परन्तु उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में इसका ध्यान नहीं रखा गया है।

श्री खुशतर जलीस अहमद द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री खुशतर जलीस अहमद** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के अनुपालन में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ रूप से की गयी नियुक्ति की तिथि को initial date of appointment मानते हुये तदर्थ नियुक्ति की तिथि से सहायक अभियंता के पद पर ज्येष्ठता पुनर्निधारित किये जाने हेतु दिये गये आदेश के अनुक्रम में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं को तदर्थ नियुक्ति के आदेश के दिनांक तथा नियुक्ति आदेश में अंकित क्रमानुसार ही उनके नाम अन्तिम ज्येष्ठता सूची में सूचीबद्ध किया गया है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(3) श्री अहमद द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति के निस्तारण से सम्बन्धित पूर्वोक्त उपप्रस्तर-2 के अनुसार ही उल्लेख किया जाना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के अनुपालन में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ रूप से की गयी नियुक्ति की तिथि को initial date of appointment मानते हुये तदर्थ नियुक्ति की तिथि से सहायक अभियंता के पद पर ज्येष्ठता पुनर्निधारित किये जाने हेतु दिये गये आदेश के अनुक्रम में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं को तदर्थ नियुक्ति के आदेश के दिनांक तथा नियुक्ति आदेश में अंकित क्रमानुसार ही उनके नाम अन्तिम ज्येष्ठता सूची में सूचीबद्ध किया गया है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है तथा इस सम्बन्ध में श्री अहमद द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

(25) **श्री राजेश कुमार सचान**, अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र दिनांक 06-01-2016 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी आपत्ति में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि श्री विजेन्द्र कुमार (184), श्री सुरेश चन्द्र (190) एवं श्री के0जे0 अहमद (204) की नियमित नियुक्ति 20-2-1989 को हुई है, इन्हीं के साथ नियमित नियुक्त सहायक अभियंताओं को क्रमांक-257 से स्थान दिया गया है। अत: उपर्युक्त के दृष्टिगत क्रमांक-257 के बाद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ही लोक सेवा आयोग से चयनित उपर्युक्त सहायक अभियंतों को स्थान दिया जाना चाहिये।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को पारित आदेश के समादर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ रूप से की गयी नियुक्ति की तिथि को initial date of appointment मानते हुये तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं को तदर्थ नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान किया गया है। अत: वर्णित स्थिति में श्री ब्रजेन्द्र कुमार, श्री सुरेश चन्द्र एवं श्री के0जे0 अहमद जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में प्रथमत: तदर्थ रूप से नियुक्त हुये थे, उनको, उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान किया गया है, जो सर्वथा विधि संगत है एवं इस सम्बन्ध में श्री सचान द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आधारहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

(26) **श्री परवेज अली खां** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री परवेज अली खां** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री परवेज अली खां द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री परवेज अली खां** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(27) **श्री जिलेदार खां** द्वारा पत्र दिनांक 15-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री जिलेदार खां** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री जिलेदार खां द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री जिलेदार खां** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(28) **श्री मो0 अकरम** द्वारा पत्र दिनांक 19-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री मो0 अकरम** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री मो0 अकरम द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री मो0 अकरम** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(29) **श्री नरेन्द्र कुमार (द्वितीय)** द्वारा पत्र दिनांक 15-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री नरेन्द्र कुमार (द्वितीय)** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

(3) कार्यालय ज्ञाप संख्या-101आरई/38-7-लखनऊ, दिनांक 12-6-1985 को निर्गत नियुक्ति आदेश में क्रम संख्या-10 एवं क्रम संख्या-16 पर दो नरेन्द्र कुमार नाम के सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हुई थी। उक्त नियुक्ति आदेश/कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-6-1985 के क्रमांक-10 पर श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चौधरी विशम्भर सिंह एवं क्रमांक-16 पर श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम निवास जी का नाम अवस्थित है। नियमानुसार सूची के उच्च क्रम (क्रमांक-10) पर अवस्थित श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री विशम्भर सिंह को ऊपर एवं सूची के निचले क्रम (क्रमांक-16) पर अवस्थित श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम निवास जी को इसी क्रम में नीचे रखते हुए ज्येष्ठता प्रदान करना चाहिए, परन्तु पूर्व में दिनांक 14-12-2001 को निर्गत ज्येष्ठता सूची में उक्त क्रमांक-16 पर अवस्थित श्री नरेन्द्र कुमार को नरेन्द्र कुमार प्रथम मानते हुए ज्येष्ठता क्रमांक-154 तथा क्रमांक-10 पर अवस्थित श्री नरेन्द्र कुमार को नरेन्द्र कुमार द्वितीय मानते हुए ज्येष्ठता क्रमांक-158 पर प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस प्रकार दिनांक 14-12-2001 को निर्गत पूर्व ज्येष्ठता सूची के आधार पर ही इन्हे दिनांक 31-12-2015 को निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-217 तथा नरेन्द्र कुमार प्रथम को ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-213 पर अवस्थित किया गया है, जबकि दिनांक 12-6-1985 को निर्गत नियुक्ति आदेश/कार्यालय-ज्ञाप के क्रम में इनको अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-213 पर तथा नरेन्द्र कुमार प्रथम को इनसे नीचे ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-217 पर रखा जाना चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार (द्वितीय) द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री नरेन्द्र कुमार (द्वितीय)** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(3) इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति आदेश की तिथि एवं नियुक्ति आदेश में उल्लिखित क्रमानुसार ही ज्येष्ठता प्रदान किया जाना है। अत: इनकी नियुक्ति विषयक आदेश दिनांक 12-6-1985 के परीक्षणोपरान्त श्री नरेन्द्र कुमार द्वितीय द्वारा की गयी आपत्ति की पुष्टि होने के फलस्वरूप मूल रूप से तदर्थ नियुक्ति संबंधित आदेश दिनांक 12-6-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1985 के क्रमांक-10 पर श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चौधरी विशम्भर सिंह एवं क्रमांक-16 पर श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम निवास जी का नाम अवस्थित होने के कारण नियमानुसार नियुक्ति आदेश की तिथि तथा नियुक्ति आदेश में उल्लिखित क्रम के अनुसार ही ज्येष्ठता प्रदान किये जाने के संबंध में प्रचलित समरूपता के सिद्धांत के दृष्टिगत श्री नरेन्द्र कुमार (द्वितीय) पुत्र श्री चौधरी विशम्भर सिंह को ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-213 एवं नरेन्द्र कुमार (प्रथम) पुत्र श्री राम निवास जी को ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-217 पर अवस्थित कर दिया गया है।

(30) **श्री दीन दयाल पाठक** द्वारा पत्र दिनांक 18-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री दीन दयाल पाठक** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री दीन दयाल पाठक द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री दीन दयाल पाठक** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(31) **श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव** द्वारा पत्र दिनांक 20-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(32) **श्री सत्य प्रकाश गुप्ता** द्वारा पत्र दिनांक 23-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री सत्य प्रकाश गुप्ता** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री सत्य प्रकाश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री सत्य प्रकाश गुप्ता** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(33) **श्री राजेश गोयल** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री राजेश गोयल** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री राजेश गोयल द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री राजेश गोयल** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(34) **श्री नवल किशोर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता** द्वारा पत्र दिनांक 11-02-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि शासन के कार्यालयज्ञाप दिनांक 31-12-2015 को जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनसे नीचे के सहायक अभियंताओं को पदोन्नति एवं अन्य लाभ दिया गया है, वर्णित स्थिति में उन्हें भी कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति एवं अन्य लाभ प्रदान किया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 के अनुपालन में तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता पुनर्निधारित करते हुये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(35) **श्री मो0 रिजवान साबिर खां** द्वारा पत्र दिनांक रहित के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री मो0 रिजवान साबिर खां** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्री मो0 रिजवान साबिर खां द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री मो0 रिजवान साबिर खां** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(36) **श्री सुरेश चन्द्र**, अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र दिनांक 14-1-2016 के माध्यम से शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31-12-2015 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर कोई आपत्ति नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(37) **श्री राजीव कुमार गुप्ता,** अधीक्षण अभियंता द्वारा शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31-12-2015 के परिप्रेक्ष्य में कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 के अनुपालन में तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता पुनर्निधारित करते हुये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(38) **श्री केदार नाथ वर्मा**, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र दिनांक 08-2-2016 के माध्यम से शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31-12-2015 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान कयह उल्लेख किया गया है कि उन्हें इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर कोई आपत्ति नहीं है।

(39) **श्री नरसिंह नारायण गिरि** द्वारा पत्र दिनांक रहित के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री नरसिंह नारायण गिरि** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री नरसिंह नारायण गिरि द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री नरसिंह नारायण गिरि** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(40) श्री चन्द्र भूषण पाण्डेय, से0नि0 अधीक्षण अभियंता द्वारा पत्र दिनांक 31-01-2016 के माध्यम से दिनांक 31-12-2015 को निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के बिन्दु सं0-14 में उल्लिखित 'तदर्थ नियुक्त अभियंताओं का पुनर्निर्धारण Subject to verification of prescribed recruitment process होगा, जो कि तदर्थ नियुक्ति के उस समय अपनाया गया होगा। "यदि निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी थी, तो तदर्थ नियुक्ति की तिथि का लाभ अनुमन्य नहीं होगा" एवं अपने नाम के ऊपर श्री विजय नारायण के स्थान पर श्री विजय नारायण सिंह पर आपत्ति व्यक्त करते हुये यह उल्लेख किया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 में ज्येष्ठता पुनर्निर्धारण हेतु कोई ऐसा निर्देश नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ रूप से की गयी नियुक्ति की तिथि से सहायक अभियंता के पद पर ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित की जा रही है। ज्येष्ठता निर्धारण के उपरान्त प्रकरण में नियुमानसुार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(41) **श्री इकरामुल हक खान** द्वारा पत्र दिनांक 03-3-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) वर्ष 1984 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के उपरान्त वर्ष 1985 में कुल तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किये गये। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

25 अप्रैल 1985 को जारी की गयी सूची में आरक्षित श्रेणी के चयनित 46 अभ्यर्थी, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 जून, 1985 को निर्गत सूची में सामान्य श्रेणी में चयनित 57 अभ्यर्थी एवं कार्यालय-ज्ञापदिनांक 17 अक्टूबर, 1985 को निर्गत सूची में 12 अभ्यर्थी, (जिनमें सामान्य एवं आरक्षित दोनो ही वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित थे), जारी की गयी है। उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति पहले की जायेगी और सामान्य श्रेणी की नियुक्ति बाद में की जायेगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। इन नियुक्ति आदेशों में चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रमानुसार नहीं होने तथा इस तथ्य का उल्लेख होने के दृष्टिगत कि "जब चयन किये गये सामान्य एवं आरक्षित दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त हो जायेंगे तब सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये नामों के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां प्रदान किये जाने के बाद इनका आपसी क्रम निर्धारित किया जायेगा, इन नियुक्ति आदेशों को जारी करने के बाद कभी भी श्रेष्ठता क्रमानुसार कोई संयुक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में लोक सेवा आयोग एवं तदक्रम में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार 'आरक्षित वर्ग' के चयनित सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया, वे सभी ऊपर हो गये तथा 'सामान्य वर्ग' के अभ्यर्थी, जिन्हें अपने श्रेष्ठताक्रम में ऊपर होना चाहिए, वे नीचे हो गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत याची **श्री इकरामुल हक खान** द्वारा अपना नाम आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री- बृजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत तथा जगदीश प्रसाद की तदर्थ रूप से नियुक्ति उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यालय ज्ञाप के द्वारा हुई थी, परन्तु इनका विनियमितीकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1985 से 1989 तक की सेवा विनियमित न होने के कारण तदर्थ नियुक्ति की तिथि से इन्हें ज्येष्ठता का लाभ दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इनकी वास्तविक नियुक्ति इनके द्वारा आयोग के अधियाचित पदों के सापेक्ष सीधे आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा चयनित हुए लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष श्रेष्ठता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में जारी आदेश दिनांक 23-2-1989 द्वारा की गयी है। अत: इनको क्रमश: सर्वश्री- कुशल वीर सिंह, शिव लाल, परवेज, अनिल कुमार शर्मा, मयंक वार्ष्णेय तथा देवेन्द्र बाल्यान के निचले क्रम में होना चाहिए।

श्री इकरामुल हक खान द्वारा प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 1985 में दिनांक 25-4-1985, 12-6-1985 एवं 17-10-1985 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथियों में जारी हुई थी, परन्तु इनका साक्षात्कार साथ-साथ हुआ था। बाद में इन सभी सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा विनियमितीकरण किया गया। विनियमितीकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इनका ज्येष्ठता क्रमांक निर्धारित किया गया। सूच्य है कि इनका विनियमितीकरण भी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के क्रमानुसार ही था। नियुक्ति की तिथि के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपर होने के कारण इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में पत्रावली परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित की गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा योग्यता सूची की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सहायक अभियंताओं की श्रेष्ठता सूची (Merit list) उपलब्ध नहीं है। तदक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि श्रेष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि का पद होने के कारण लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 12-2-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में अपने पत्र दिनांक 10-7-2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "आयोग द्वारा सीधी भर्ती के चयन में अनारक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम श्रेष्ठता क्रम में पहले रखे जाते हैं और आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित होते हैं, उनका नाम भी ऊपर रखा जाता है। शेष आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम आपसी श्रेष्ठता क्रम में इनके नीचे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्त विनियमितीकरण नियमावली-1979 (दिनांक 14-5-79) एतदद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यह परामर्श सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयनित होने के फलस्वरूप उनकी रिक्तियों के सापेक्ष योग्यता क्रम में रखे जाने की व्यवस्था के संबंध में प्रदान की गयी तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के विनियमितीकरण के फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की प्रति प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम-7(1) में यह प्राविधान किया गया कि "इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संगत सेवा नियमों एवं यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।" अत: **श्री इकरामुल हक खान** को विनियमितीकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1985 में निर्गत तीनों कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम के संबंध में चूँकि कोई अन्य आदेश जारी होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ है एवं न ही प्रत्येक विज्ञप्ति के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter-se) का उल्लेख है। अत: तीनों विज्ञप्तियों/आदेशों के माध्यम से तदर्थ नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम नियुक्ति के आदेश (तदर्थ नियुक्ति के आदेश) के दिनांक एवं निर्धारित क्रम के अनुसार पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के समान व्यवस्थित किया गया है।

एतदर्थ इस संबंध में उठायी गयी आपत्तियां निराधार होने तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो पूर्णत: विधि सम्मत है।

(2) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर स्थापित सर्वश्री-ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त दिनांक 23-02-1989 को नियमित नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियन्ताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(42) श्री सिराजुद्दीन अहमद खॉ, अधिशासी अभियंता द्वारा शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31-12-2015 के माध्यम से निर्गत की गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से सहमति व्यक्त करते हुये उक्त ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) इस वर्ग में उन अधिकारियों की आपत्तियों को सम्मिलित करते हुए निस्तारित किया गया, जो लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित होकर सहायक अभियंता के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हुए। इस वर्ग में कुल 24 अभियन्ताओं की आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:-

सर्वश्री- **जगदीश प्रसाद, नीरज कुमार, राशि मणि मिश्रा, वीरपाल राजपूत, राम प्रसाद राम, बृजेश कुमार दुबे, अनिल कुमार शर्मा, बिजेन्द्र कुमार, जग भूषण शर्मा, देवेन्द्र बाल्यान, राम प्रकाश सिंह, कुशल वीर सिंह, अनिल कुमार सक्सेना, वी0के0 गौर, ए0के0 श्रीवास्तव, विष्णु कुमार, अनिल कुमार गर्ग, शैलेश अग्रवाल, रवीन्द्र सिंह गंगवार, रियाज अहमद सिद्दीकी, विजय कुमार दुबे, सच्चिदानन्द पाण्डेय, मो0 कुद्दूस अंसारी एवं श्री अशोक कुमार।**

उक्त में से सर्वश्री-**जगदीश प्रसाद** द्वारा पत्र दिनांक 18-01-2016, **नीरज कुमार** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016, **राशि मणि मिश्रा** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016, **वीरपाल राजपूत** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016, **राम प्रसाद राम** द्वारा पत्र दिनांक रहित, **बृजेश कुमार दुबे** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016, **अनिल कुमार शर्मा** द्वारा पत्र दिनांक 07-01-2016, **बिजेन्द्र कुमार** द्वारा पत्र दिनांक 11-01-2016, **जग भूषण शर्मा** द्वारा पत्र दिनांक 11-01-2016, **देवेन्द्र बाल्यान** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016, **राम प्रकाश सिंह** द्वारा पत्र दिनांक 18-01-2016, **कुशल वीर सिंह** द्वारा पत्र दिनांक 10-01-2016, **वी0के0 गौर** द्वारा पत्र दिनांक 14-01-2016, **ए0के0 श्रीवास्तव** द्वारा पत्र दिनांक 14-01-2016, **विष्णु कुमार** द्वारा पत्र दिनांक 13-01-2016, **अनिल कुमार गर्ग** द्वारा पत्र दिनांक 15-01-2016, **शैलेश अग्रवाल** द्वारा पत्र दिनांक 15-01-2016, **रियाज अहमद सिद्दीकी** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016, **विजय कुमार दुबे** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016, **सच्चिदानन्द पाण्डेय** द्वारा पत्र दिनांक 15-01-2016, **मो0 कुद्दूस अंसारी** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016, **श्री अशोक कुमार** द्वारा पत्र दिनांक 12-01-2016 के माध्यम से अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से निम्नवत बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) श्री एन0के0 त्रिपाठी के सिविल अपील 3349/2015 में उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया है, अत: मा0 उच्चतम न्यायालय को उक्त निर्णय के क्रम में उनकी ज्येष्ठता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ज्येष्ठता नियमावली को निरस्त नहीं किया गया है और न ही सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 को ही निरस्त किया गया है।

(2) उ0प्र0 तदर्थ सेवाओं के विनियमितीकरण नियमावली 1979 यथा संशोधित 1989 के नियम-7 (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों मे इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों या यथा स्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के पूर्व, संगत सेवा नियमों या यथा स्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(3) उ0प्र0 ग्रामीण अभियंत्रण (समूह-क) सेवा नियमावली 1991 के भाग एक- सामान्य- उपरोक्त नियमावली के प्रस्तर-12 में यह प्राविधानित है कि "किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी"। इसी नियमावली के नियम-3(6) में मौलिक नियुक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि "मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ न हो।" उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के भाग-3 के अनुसार मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

(4) रिट याचिका संख्या-2023/1998 शैलेष अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14-7-1992 को पारित निर्णय के पैरा-5 में निम्नवत आदेश दिया गया है :-

Rule 7 of the regularisation Rule Specifically provides that those regularised under the Regularisation Rules will count for seniority from the date of the order of regularisation passed under Regularisation Rules and in any case they will be below to those who have been appointed through the normal procedure. The normal procedure for the post of the Assistant Engineer is appointment through the Public Service Commission as the post is within the purview of the Public Service Commission.

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 14-7-1992 को मा0 उच्चतम न्यायालय में शासन द्वारा चुनौती दी गयी थी, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता वाली बेंच में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-14546/1992 में दिनांक 10-8-1993 को विशेष अनुज्ञा याचिका निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया था अर्थात मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच के निर्णय को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी गयी थी।

(5) वर्ष 1985 में 108 सहायक अभियंताओं की तदर्थ नियुक्ति विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी थी, परन्तु उक्त नियुक्तियों से संबंधित तीन सूचियां जारी की गयीं थी, प्रथम सूची आरक्षित श्रेणी, द्वितीय सूची सामान्य श्रेणी की एवं तृतीय सूची में सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के प्रतीक्षा सूची से संबंधित अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था। नियुक्ति से संबंधित यह सूची मेरिट के आधार पर नहीं जारी की गयी थी। प्रथम सूची 25 अप्रैल1985, 12 जून, 1985 एवं 14 अक्टूबर, 1985 को अलग-अलग तिथियों को जारी किये जाने के कारण श्री डी0डी0 पाठक एवं अन्य द्वारा रिट याचिका संख्या-1131/2008 मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गयी। उक्त रिट याचिका के संदर्भ में कार्मिक अनुभाग तथा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर शासन द्वारा पत्रावली दिनांक 26-12-2008 को न्याय विभाग को परामर्श हेतु प्रेषित की गयी। परन्तु उक्त बिन्दु पर शासन द्वारा अब तक निर्णय नहीं लिया गया।

(6) ग्राम्य विकास अनुभाग-4 की विज्ञप्ति/विनियमितीकरण संख्या-1110आरई/ 38-4-आरईएस/42/84, दिनांक 23 अगस्त, 1986 द्वारा लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण किया गया है। उक्त विनियमितीकरण (संशोधित नियमावली) 1984 के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर विभाग में दिनांक 31-12-1976 से 01-6-1983 तक राज्याधीन सेवाओं में तदर्थ रूप से नियुक्त 23 सहायक अभियंताओं का नियमितीकरण किया गया है। "विनियमितीकरण नियमावली 1979 के बिन्दु-4(2) में यह प्रतिबंध है कि इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनजातियों, पिछड़े वर्ग व अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।" उक्त चयनित 23 अभ्यर्थियों का चयन तत्समय प्रचलित नियमों का अनुपालन किये बिना ही किया गया है एवं आरक्षण का भी संज्ञान नहीं लिया गया है।

(7) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से मात्र 09 अभियंताओं द्वारा लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में सफलता प्राप्त किया गया शेष तदर्थ सहायक अभियंताओं को लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार तदर्थ रूप से नियुक्ति के आधार पर ज्येष्ठता प्रदान किये जाने की स्थिति में ऐसे समस्त अभियन्ता, जो लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में सफल नहीं हुए, उन्हें उनके ऊपर प्रतिस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है।

(8) वर्ष 1985 में नियुक्त तदर्थ सहायक अभियंताओं को आदेश दिनांक 14-12-1989 द्वारा विनियमित किया गया है। इस प्रकार तदर्थ नियुक्ति की तिथि से विनियमितीकरण होने की तिथि तक वे सभी "Member of Service" नहीं थे, अत: उनकी ज्येष्ठता निर्धारण में इस अवधि को नहीं जोड़ा जा सकता।

(9) पूर्व निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 को यथावत बनाये रखने तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 एवं उ0प्र0 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा नियमावली 1991 के अनुसार ज्येष्ठता तय करने के लिए मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही स्थान दिये जाने के प्राविधान तथा मौलिक नियुक्ति, तदर्थ नियुक्ति नहीं हो सकती, के संबंध में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत दिनांक 31-12-2015 को जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निरस्त करते हुए दिनांक 14-12-2001 को निर्गत पूर्व ज्येष्ठता सूची को पुन: प्रभावी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(10) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी के सिविल अपील सं0-3348/2015 के दिनांक 07-4-2015 में दिया गया निर्णय Per-incuriam श्रेणी का है। इस निर्णय को Status of precedent मानते हुये सभी पर लागू नहीं किया जा सकता है।

उक्त आपत्तियों का निस्तारण बिन्दुवार निम्नवत किया जाता है :-

(1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंताओं की तदर्थ नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के विषयगत निर्णय दिनांक 07-4-2015 द्वारा "Direct Recruit Class II Engineering Officers' Association" में मा0 उच्चतम न्यायालय के Observations के आधार पर ऐसी तदर्थ नियुक्ति जो नियुक्ति के पश्चात विनियमितीकरण की तिथि तक लगातार बनी हुई है, उसे ज्येष्ठता में आगणित किये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। मा0 उच्चतम न्यायालय के विषयगत निर्णय दिनांक 7-4-2015 के प्रस्तर-14 में "Direct Recruit Class II Engineering Officers' Association" के निर्णय के अंश को निम्न प्रकार उद्धघृत किया गया है:-

"47. To sum up, we hold that:

(A) Once an incumbent is appointed to a post according to rule, his seniority has to be counted from the date of his appointment and not according to the date of his confirmation.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

The corollary of the above rule is that where the initial appointment is only ad hoc and not according to rules and made as a stop-gap arrangement, the officiation in such post cannot be taken into account for considering the seniority.

(B) If the initial appointment is not made by following the procedure laid down by the rules but the appointee continues in the post uninterruptedly till the regularisation of his service in accordance with the rules, the period of officiating service will be counted."

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 7-4-2015 के प्रस्तर-16 में एक अन्य याचिका "Rudra Kumar Sain & Ors. Vs Union of India & Ors. " में सेवा में प्रयुक्त किये जाने वाले ad hoc/fortuitous/ stopgap, इन शब्दों को उल्लिखित करते हुए उप प्रस्तर-20 में निम्नवत Observations का उल्लेख किया है:-

20. In service jurisprudence, a person who possesses the requisite qualification for being appointed to a particular post and then he is appointed with the approval and consultation of the appropriate authority and continues in the post for a fairly long period, then such an appointment cannot be held to be "stopgap or fortuitous or purely ad hoc". In this view of the matter, the reasoning and basis on which the appointment of the promotees in the Delhi Higher Judicial Service in the case in hand was held by the High Court to be "fortuitous/ad hoc/ stopgap" are wholly erroneous and, therefore, exclusion of those appointees to have their continuous length of service for seniority is erroneous."

उपर्युक्त निर्णयों को संज्ञान में लेते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के संबंध में अपने निर्णय दिनांक 7-4-2015 के द्वारा तदर्थ नियुक्ति की तिथि को initial date of appointment मानते हुये तदर्थ सेवा की गणना ज्येष्ठता में किये जाने के निर्देश पारित किये गये हैं और सभी प्रभावित कार्मिकों को सुनने के बाद ज्येष्ठता का पुनर्निर्धारण किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष योजित सिविल अपील संख्या-3349/2015 (एस0एल0पी0(सिविल) संख्या-8330/2005) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को पारित निर्णय/आदेश को ही विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-2075/2006 एस0के0 सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-489/2005 एन0के0 श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11832/2006, विशेष अनुज्ञा याचिका सी.सी. संख्या-2640/2005 में दिनांक 26-10-2015 को पारित निर्णय द्वारा लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को पारित निर्णय में तदर्थ सेवा को ज्येष्ठता की गणना किये जाने एवं तदनुसार ज्येष्ठता का पुनर्निर्धारण किये जाने को 'सिद्धान्त' के रूप में प्रतिपादित किया गया है। वर्णित स्थिति में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 एवं 26-10-2015 को पारित निर्णयों के समादर में तदनुसार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं को तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता पुनर्निधारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया जाना है कि विषयगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को पारित निर्णय में "Redetermination the seniority after hearing affected parties" हेतु दिये गये आदेश एवं पूर्वोक्त प्रस्तर-2 में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत विशेष अनुज्ञा याचिकाओं तथा रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 26-10-2015 व पूर्वोक्त प्रस्तर-11 एवं 12 में अंकित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार भी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में याची श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी के समान तदर्थ रूप से नियुक्त समस्त अभियंताओं की ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित किये जाने के उद्देश्य से विभाग की पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 को निरस्त करते हुए तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित कर कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31-12-2015 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी कर नियमानुसार सभी प्रभावित पक्षों की आपत्तियां आमंत्रित की गयीं।

उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के समादर में सभी प्रभावित पक्षों की आपत्तियां प्राप्त कर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता पुन: निर्धारित की जा रही है। अतएव इस बिन्दु के संबंध में प्राप्त आपत्तियां ग्राह्य न पाते हुए अस्वीकार किया जाता है।

(2) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली-1979 के प्रस्तर-4 एवं 7 को तथा उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली-1989 के नियम-10 को अपने संज्ञान में लेते हुये ही "Direct Recruit Class II Engineering Officers' Association" में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर तदर्थ सेवा की गणना ज्येष्ठता के निर्धारण में दिये जाने का निर्णय आदेश दिनांक 07-4-2015 द्वारा प्रदान किया गया है।

इस प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली-1979, उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली-1989 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में विहित प्राविधानों को संज्ञान में लेते हुए ही ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर की गयी तदर्थ नियुक्ति, जो विनियमितीकरण की तिथि तक लगातार बनी रही है, की अवधि को ज्येष्ठता में जोड़े जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

अत: इस संबंध में प्राप्त आपत्तियां तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

(3) उपर्युक्त बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा समस्त संगत नियमावलियों का संज्ञान लेते हुए ही तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

अत: इस संबंध में प्राप्त आपत्तियां तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) रिट याचिका संख्या-2023/1988 शैलेष अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-7-92 के कार्यकारी अंश का विवरण निम्नवत है:- "In view of what has been indicated herein above, the writ petition partly succeeds. A writ in the nature of mandmus commanding the opposite parties, to promote the petitioners to the posts of Excutive Engineers from the dates opposite parties i.e. the opposite parties no. 4 and 5 were promoted with all other consequential benifits arising there from including monetory benifits."

Dated 14-7-92

उपरोक्तानुसार रिट याचिका संख्या-2023/1988 शैलेष अग्रवाल एवं अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-7-1992 के माध्यम से मात्र याचीगणों को प्रतिपक्षी की तिथि से प्रोन्नत प्रदान किये जाने का अनुतोष दिया गया था, याचीगणों द्वारा न तो ज्येष्ठता निर्धारण किये जाने की मांग की गयी थी और न ही मा0 उच्च न्यायालय द्वारा ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का आदेश ही दिया गया था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के समादर में तत्समय पदोन्नति की कार्यवाही की जा चुकी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाना है कि मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 14-7-92 के विरूद्ध शासन की ओर से योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-14546/1992 उ0प्र0 सरकार एवं अन्य बनाम शैलेष अग्रवाल बनाम अन्य विशेष अनुज्ञा याचिका के संलग्नकों में हिन्दी से अग्रेजी में किये गये अनुवाद में हुई कतिपय त्रुटियों को गम्भीरता से लेते हुए खारिज की गयी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विषयगत विशेष अनुज्ञा याचिका में मेरिट के आधार पर निर्णय न लेते हुए तकनीकी त्रुटियों के कारण विशेष अनुज्ञा याचिका निरस्त कर दिया गया था।

चूँकि मा0 उच्चतम न्यायालय के विषयगत निर्णय दिनांक 07-4-2015 में प्रतिपादित सिद्धान्त/निर्णय के उपरान्त विभाग में तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ऐसी स्थिति में मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 14-7-1992 को उद्धघृत करते हुए किसी अनुतोष की अपेक्षा किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अत: इस संबंध में प्राप्त आपत्तियां तथ्यहीन/ आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

(5) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली-1979 तथा उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली-1989 को अपने संज्ञान में लेकर ही "Direct Recruit Class II Engineering Officers' Association" में पारित पूर्व निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर तदर्थ सेवा की गणना, ज्येष्ठता के निर्धारण में लिये जाने का निर्णय आदेश दिनांक 07-4-2015 द्वारा प्रदान किया गया है। अत: इस संबंध में प्राप्त आपत्तियां तथ्यहीन/ आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

(6) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तदर्थ रूप से पूर्व में नियुक्त कतिपय अभियन्ताओं के लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में सफल होने के उपरान्त उनके मौलिक रूप से नियुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हो जाने की स्थिति में विनियमितीकरण नियमावली के अधीन उनका विनियमितीकरण किये जाने का अवसर विद्यमान नहीं था। ऐसे तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंता, जो लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में सफल नहीं हुये अथवा लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं किये थे, उनका विनियमितीकरण नियमावली के अधीन विनियमितीकरण किया गया।

उक्त वर्णित स्थिति में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के समादर में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ता, जो विभाग में अनवरत कार्य करते रहे और उन्हें विनियमित किया गया अथवा वे जो लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया/परीक्षा में चयनित होने के उपरान्त विभाग में बने रहे, उनको तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान किया गया है। अत: इस संबंध में प्राप्त आपत्तियां तथ्यहीन/ आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

(7) उपर्युक्त बिन्दु संख्या-2 एवं 3 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-4-2015 में समस्त संगत नियमावलियों का संज्ञान लेते हुए ही तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश/प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर की गयी कार्यवाही सर्वथा विधि सम्मत है। इस संबंध में प्राप्त आपत्तियों में उल्लिखित तथ्य आधारहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

(8) वर्ष 1985 में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं में से अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-184, 190, 204, 208, 211 एवं 249 पर अवस्थित सर्वश्री- ब्रजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द्र, खुश्तर जलीस अहमद, विपिन कुमार सिंह गौर, प्रेम दत्त सारस्वत और श्री जगदीश प्रसाद वर्मा लोक सेवा आयोग से चयनित होने के फलस्वरूप दिनांक 23-02-1989 को नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके थे, जबकि उक्त अभियंताओं के अतिरिक्त शेष तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का विनियमितीकरण दिनांक 14-12-1989 एवं बाद की तिथियों में किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियमित/मौलिक नियुक्ति पा चुके उक्त अभियंताओं का अलग से विनियमितीकरण आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-4-2015 के समादर में उक्त अभियन्ताओं को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से संलग्न अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

उपर्युक्त बिन्दु संख्या-2, 3 एवं 7 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-4-2015 में समस्त संगत नियमावलियों का संज्ञान लेते हुए ही तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से अनवरत सेवा प्रदान किये जाने एवं इसी आधार पर बाद में विनियमित हुए कर्मचारियों को तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश/प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर की गयी कार्यवाही सर्वथा विधि सम्मत है। अत: इस संबंध में प्राप्त आपत्तियों में उल्लिखित तथ्य आधारहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

(9) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 07-4-2015 में प्रभावित पक्षों की आपत्तियां प्राप्त कर तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता का पुनर्निर्धारण किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाने हेतु पारित निर्णय के अनुपालन में विभाग के सहायक अभियंताओं की एक ज्येष्ठता सूची के विद्यमान रहते हुए दूसरी ज्येष्ठता सूची तब तक नहीं जारी की जा सकती, जब तक कि पहली ज्येष्ठता सूची निरस्त नहीं कर दी जाती। वर्णित स्थिति में ही ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की पूर्व ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 एवं 15-6-2012 निरस्त करते हुए तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता पुनर्निधारित किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के अनुक्रम में तदनुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31-12-2015 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करते हुए प्रभावित पक्षों की आपत्तियां प्राप्त कर उसका निस्तारण किया गया है। अत: इस संबंध में प्राप्त आपत्तियां तथ्यहीन/आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

(10) मा0 उच्चतम न्यायालय के विषयगत निर्णय दिनांक 07-4-2015 द्वारा "Direct Recruit Class II Engineering Officers' Association" में मा0 उच्चतम न्यायालय के Observations के आधार पर ऐसी तदर्थ नियुक्ति जो नियुक्ति के पश्चात विनियमितीकरण की तिथि तक लगातार बनी हुई है, उसे ज्येष्ठता में आगणित किये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

उपर्युक्त् के अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 7-4-2015 के प्रस्तर-16 में एक अन्य याचिका "Rudra Kumar Sain & Ors. Vs Union of India & Ors. " में सेवा में प्रयुक्त किये जाने वाले ad hoc/fortuitous/ stopgap, इन शब्दों को उल्लिखित करते हुए उप प्रस्तर-20 में निम्नवत Observations का उल्लेख किया है:-

20. In service jurisprudence, a person who possesses the requisite qualification for being appointed to a particular post and then he is appointed with the approval and consultation of the appropriate authority and continues in the post for a fairly long period, then such an appointment cannot be held to be "stopgap or fortuitous or purely ad hoc". In this view of the matter, the reasoning and basis on which the appointment of the promotees in the Delhi Higher Judicial Service in the case in hand was held by the High Court to be "fortuitous/ad hoc/ stopgap" are wholly erroneous and, therefore, exclusion of those appointees to have their continuous length of service for seniority is erroneous."

उपर्युक्त निर्णयों को संज्ञान में लेते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के संबंध में अपने निर्णय दिनांक 7-4-2015 के द्वारा तदर्थ नियुक्ति की तिथि को initial date of appointment मानते हुये तदर्थ सेवा की गणना ज्येष्ठता में किये जाने के निर्देश पारित किये गये हैं और सभी प्रभावित कार्मिकों को सुनने के बाद ज्येष्ठता का पुनर्निर्धारण किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष योजित सिविल अपील संख्या-3349/2015 (एस0एल0पी0(सिविल) संख्या-8330/2005) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को पारित निर्णय/आदेश को ही विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-2075/2006 एस0के0 सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-489/2005 एन0के0 श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11832/2006, विशेष अनुज्ञा याचिका सी.सी. संख्या-2640/2005 में दिनांक 26-10-2015 को पारित निर्णय द्वारा लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को पारित निर्णय में तदर्थ सेवा को ज्येष्ठता की गणना किये जाने एवं तदनुसार ज्येष्ठता का पुनर्निर्धारण किये जाने को 'सिद्धान्त' के रूप में प्रतिपादित किया गया है। वर्णित स्थिति में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 एवं 26-10-2015 को पारित निर्णयों के समादर में तदनुसार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं को तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता पुनर्निधारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया जाना है कि विषयगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को पारित निर्णय में "Redetermination the seniority after hearing affected parties" हेतु दिये गये आदेश एवं पूर्वोक्त प्रस्तर-2 में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत विशेष अनुज्ञा याचिकाओं तथा रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 26-10-2015 व पूर्वोक्त प्रस्तर-11 एवं 12 में अंकित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार भी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में याची श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी के समान तदर्थ रूप से नियुक्त समस्त अभियंताओं की ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित किये जाने के उद्देश्य से विभाग की पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 को निरस्त करते हुए तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित कर कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31-12-2015 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी कर नियमानुसार सभी प्रभावित पक्षों की आपत्तियां आमंत्रित की गयीं।

उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के समादर में सभी प्रभावित पक्षों की आपत्तियां प्राप्त कर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित की जा रही है। अतएव इस बिन्दु के संबंध में प्राप्त आपत्ति बलहीन पाते हुए अस्वीकार किया जाता है।

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा पत्र दिनांक 14-1-2016 के माध्यम से अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से सम्बन्धित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31-12-2015 के परिप्रेक्ष्य में अपनी आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु पर्याप्त समय प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा अभी तक कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

श्री रवीन्द्र सिंह गंगवार द्वारा कतिपय रिट याचिकाओं का उल्लेख करते हुये तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंता, श्री महमूद इलाही, श्री चन्द्र भूषण एवं श्री माधव सक्सेना से अपना नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना हे कि पूर्ववत प्रस्तर-1, 2 एवं 12 तथा 13 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015, 26-10-2015 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08-5-2015 एवं 28-7-2015 के समादर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत समस्त तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने का निर्णय लेते हुये समस्त वांछित कार्यवाही की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतएव श्री गंगवार द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

(घ) इस वर्ग में ऐसे सहायक अभियंताओं की आपत्तियों को सम्मिलित किया गया है, जिनके द्वारा दिनांक 31-12-2015 को निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि, वरिष्ठता क्रमांक, गृह जनपद, शैक्षिक योग्यता अथवा नाम इत्यादि का अंकन त्रुटिपूर्ण हो जाने एवं नाम छूट जाने का उल्लेख करते हुए उसे सही किये जाने/जोड़े जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में एक समान आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों का निस्तारण क्रमवार निम्नवत किया जाता है:-

(1) श्री विजय कुमार (से0नि0), श्री अजय कुमार आनन्द(से0नि0), श्री शिव प्रकाश पाण्डेय, श्री पंकज राय, श्री जय बहादुर सिंह एवं श्री चन्द्रवीर सहायक अभियंता, जो विद्युत/यांत्रिक शाखा के सहायक अभियंता हैं, के द्वारा अपना नाम उक्त दिनांक 31-12-2015 को निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित न किये जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सिविल संवर्ग के सहायक अभियंताओं के साथ ही विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के सहायक अभियंताओं की सम्मिलित/संयुक्त ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि कार्य की प्रकृति अलग-अलग होने तथा अलग विषय की विशिष्ट योग्यता होने के दृष्टिगत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के (विद्युत/यांत्रिक) संवर्ग के सहायक अभियंताओं की सिविल संवर्ग से अलग ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए उन्हें कम से कम दो उच्च स्तर तक पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु पृथक से विचार किया जा रहा है। इसी सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि शासन के आदेश (कार्यालय ज्ञाप संख्या-2202/92-2012-180आरईएस/2011) दिनांक 29 अगस्त, 2012 द्वारा सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) संवर्ग की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पूर्व में प्रख्यापित की गयी थी, जिसे नवीन परिदृष्य में बाद में नियुक्त सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) को सम्मिलित करते हुए पृथक से पुनर्निर्धारित किया जाना विचाराधीन है। इस प्रकार इन कारणों से विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के सहायक अभियंताओं को सिविल संवर्ग में सम्मिलित करते हुए संयुक्त ज्येष्ठता सूची बनाये जाने के संबंध में की गयी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

(2) श्री जियाउररहमान खॉ एवं श्री राकेश कुमार जैन, सहायक अभियंतागण द्वारा यह अवगत कराते हुए अपना नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-277 के बाद तथा 278 के पहले स्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नत करते हुए चयन वर्ष 1993-94 अर्थात 01 जुलाई, 1993 आवंटित की गयी थी, जबकि शासन द्वारा प्रथम नियुक्ति की तिथि 27-5-2000 मानते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-305 पर उनका नाम स्थापित किया गया है।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता नियमावली-1991 के सुसंगत प्राविधानो/उपबंधो के आधार पर पूर्व में निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में यह मत स्थिर किया गया था कि पदोन्नति कोटे के सहायक अभियंताओं को चयन वर्ष आवंटित करने का तात्पर्य ज्येष्ठता के परिप्रेक्ष्य में नहीं होता, बल्कि इस उद्देश्य से होता है कि नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति के संबंध में यह स्पष्ट हो सके कि यह नियुक्ति किस चयन वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध की गयी है, ताकि रिक्तियों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सही लेखा-जोखा रखा जा सके। अत: श्री जियाउर रहमान खां एवं श्री राकेश कुमार जैन सहायक अभियंता को उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो नियमानुसार उचित है एवं इस संबंध में श्री खां एवं श्री जैन द्वारा उठायी गयी आपत्ति निराधार है।

(3) श्री बाबूराम साहू, सहायक अभियंता द्वारा ज्येष्ठता नियमावली 1991 के भाग-2 के बिन्दु-7 के अनुसार "नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हो तथा पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हो, तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति, निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे," का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि उक्त प्राविधान के दृष्टिगत शासन के आदेश दिनांक 27-5-2000 के माध्यम से डिग्रीधारी कोटा के अन्तर्गत 02 संगणकों एवं 12 अवर अभियंताओं की पदोन्नति सहायक अभियंता के पद पर की गयी थी, उन्हें ज्येष्ठता सूची में संगणक से पदोन्नत सहायक अभियंताओं को क्रमश: प्रस्तावित क्रम सं0-296 तथा 308 पर रखा गया है, जबकि अवर अभियंताओं से पदोन्नत सहायक अभियंताओ को क्रमश: क्रम संख्या-297 से 307 तक एवं क्रमांक-309 पर रखा गया है। चूँकि अवर अभियंता (वेतनमान 4500-7000) से संगणक (वेतनमान 5000-8000) का पद उच्च वेतन प्रक्रम का है। अत- उक्त चयन में संगणक से पदोन्नत सहायक अभियंताओं को ज्येष्ठता में ऊपर रखने के बाद अवर अभियंताओं से पदोन्नत सहायक अभियंताओं को रखना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के बिन्दु-9 (3) में यह प्राविधान किया गया है कि यदि एक ही चयन वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनो प्रकार से की जाये, वहां पर पदोन्नति से नियुक्त अभ्यर्थी, सीधी भर्ती से नियुक्त अभ्यर्थी से ज्येष्ठता में ऊपर स्थान पायेंगे। चयन वर्ष 1999-2000 के लिए लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के 02 अभ्यर्थी श्री ईशम सिंह एवं श्री रविकान्त वर्मा की नियुक्ति माह मार्च, 2000 में की गयी तथा डिग्री कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नत सहायक अभियंताओं की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की संस्तुति के उपरान्त आदेश की प्रख्यापित तिथि के अनुसार माह मई, 2000 में की गयी। चूँकि दोनो नियुक्तियां एक ही चयन वर्ष 1999-2000 में की गयी। अत: माह मई, 2000 में पदोन्नति से नियुक्त सहायक अभियंताओं को माह मार्च, 2000 में नियुक्त सीधी भर्ती के नियुक्त सहायक अभियंताओं से ज्येष्ठता में ऊपर रखा जाना चाहिए था, जिसका पालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 12-01-1994 में अन्य विभाग अर्थात विश्व बैंक परियोजना से आये सहायक अभियंताओं को इनके ऊपर न रखते हुए नीचे रखा जाना चाहिए था।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि उ0प्र0 ग्रामीण अभियंत्रण (समूह-ख) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-1999 (अधिसूचना) दिनांक 28-01-2000 में निहित प्राविधानों के आधार पर अन्य अवर अभियन्ताओं एवं संगणक के साथ श्री बाबू राम साहू, संगणक की सहायक अभियंता (सिविल) के डिग्री कोटे के अन्तर्गत रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के क्रम में आदेश दिनांक 27-5-2000 द्वारा प्रोन्नति की गयी थी। उक्त चयन में पदोन्नति का मापदण्ड 'श्रेष्ठता' निर्धारित था और चयन वर्ष 1984-85 से वर्ष 1998-99 तक की रिक्तियों के लिए चयन/पदोन्नति की कार्यवाही की गयी थी। लोक सेवा आयोग, उ0प्र, इलाहाबाद द्वारा चयन वर्षवार जिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्रेष्ठता क्रम में डिग्री कोटे के अन्तर्गत अवर अभियंताओं/संगणकों की पदोन्नति की गयी थी, श्री बाबू राम साहू से अन्य संगणक एवं अवर अभियंताओं के नाम उसी क्रम में पदोन्नति आदेश दिनांक 27-5-2000 में रखे गये थे, तदनुसार ही इनकी ज्येष्ठता पूर्व में सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में भी निर्धारित की गयी थी। वर्तमान में श्री बाबू राम साहू की ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा संस्तुत श्रेष्ठता क्रम में अवधारित की गयी है, अत: उच्च वेतनमान के आधार पर उन्हें वर्ष 2000 में पदोन्नत अन्य अवर अभियंताओं से ऊपर रखे जाने तथा इसी आधार पर ज्येष्ठता सूची में उच्च स्थान प्रदान किये जाने विषयक श्री बाबू राम साहू की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से अवधारित किये जाने की व्यवस्था है। चयन वर्ष से ज्येष्ठता अवधारित किये जाने का कोई नियम नहीं है। उक्त प्राविधानों के अनुसार ही श्री बाबू राम साहू की मौलिक नियुक्ति की तिथि से उनकी ज्येष्ठता अवधारित की गयी है। अत: विश्व बैंक परियोजना से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर समायोजित एवं वर्ष 2000 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियंताओं के मौलिक नियुक्ति की तिथि, श्री साहू से पूर्व के होने के कारण उनके ज्येष्ठता क्रमांक से ऊपर श्री साहू की ज्येष्ठता अवधारित किये जाने विषयक उनकी आपत्ति भी स्वीकार योग्य नहीं है।

(4) श्री राजित राम, सहायक अभियंता, द्वारा अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि उनकी नियमित पदोन्नति डिग्री कोटे के अन्तर्गत पोषक संवर्ग संगणक से सहायक अभियंता के पद पर चयन वर्ष 1986-87 की रिक्ति के सापेक्ष की गयी है। सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित पोषक संवर्ग संगणक एवं अवर अभियंन्ता होने तथा तुलनात्मक रूप से संगणक का वेतनमान अवर अभियंता की अपेक्षा अधिक होने के तथ्य का उल्लेख करते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत चयन वर्ष 1992-93 के सापेक्ष दिनांक 19-1-1993 को नियमित हुए डिग्री कोटे के श्री मो0 इरफान, जिन्हें अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-87 पर रखा गया है, के ऊपर क्रमांक-86 पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता अवधारित किये जाने की व्यवस्था है। कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2/84-का-1/97, दिनांक 23-8-1997 के प्राविधानों के अनुसार भी रिक्ति की तिथि से पदोन्नत किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। स्पष्ट है कि चयन वर्ष से ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का कोई नियम नहीं है। दूसरी ओर तदर्थ रूप से नियुक्त एवं कालान्तर में विनियमित कार्मिकों की ज्येष्ठता मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के अनुपालन में उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से अवधारित किया जाना है। तदनुसार ही श्री राजित राम की ज्येष्ठता उनकी पदोन्नति विषयक आदेश दिनांक 27-5-2000 को प्रभावी सेवा नियमों के अनुसार मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर अवधारित की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी है, जबकि श्री इरफान की ज्येष्ठता मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के अनुपालन में पुनर्निधारित की गयी है। अत: श्री इरफान से ऊपर ज्येष्ठता क्रमांक-86 पर श्री राजित राम का नाम प्रतिस्थापित किये जाने विषयक उनकी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

(5) श्री शिव शंकर द्वारा रिट याचिका संख्या-1453(एस/बी)/2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में शासन के आदेश दिनांक 17-2-2014 द्वारा अपना नाम श्री जवाहर सिंह (पूर्व आवंटित ज्येष्ठता क्रमांक-301) के नीचे एवं परवेज अख्तर (पूर्व आवंटित ज्येष्ठता क्रमांक-302) के ऊपर अर्थात 301 (ए) पर रखा गया था। उसी के अनुरूप प्रस्तावित ज्येष्ठता सूची में श्री जवाहर सिंह के नीचे एवं श्री परवेज अख्तर के ऊपर व्यवस्थित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि श्री शिव शंकर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-2295(एस/एस)/2000 में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों दिनांक 17-5-2001 एवं 25-5-2001 तथा रिट याचिका संख्या-1453(एस/बी)/2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-10-2012 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-746/92-2014-52(जॉच)/2012, दिनांक 17-2-2014 द्वारा सहायक अभियंताओं (सिविल) संवर्ग की पूर्व में निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में श्री शिव शंकर, सहायक अभियंता की ज्येष्ठता श्री जवाहर सिंह (पूर्व आवंटित ज्येष्ठता क्रमांक-301) के नीचे एवं परवेज अख्तर (पूर्व आवंटित ज्येष्ठता क्रमांक-302) के ऊपर अर्थात 301 (ए) के ऊपर रखे जाने का आदेश, रिट याचिका संख्या-2295(एस/एस)/2000 में पारित होने वाले मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के अन्तिम निर्णय के अधीन किया गया था।

अत: इस संबंध में श्री शिव शंकर द्वारा की गयी आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त रिट याचिका संख्या-2295 (एस/एस)/2000 में पारित होने वाले मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के अन्तिम निर्णय के अधीन अन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री शिव शंकर की ज्येष्ठता श्री जवाहर सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-309) के नीचे एवं श्री परवेज अख्तर (ज्येष्ठता क्रमांक-310) के ऊपर अवस्थित किया जाना होगा। वर्णित स्थिति में श्री शिव शंकर को श्री जवाहर सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-309) के नीचे श्री परवेज अख्तर के ऊपर ज्येष्ठता क्रमांक-310 पर रखते हुए क्रमश: श्री परवेज अख्तर को ज्येष्ठता क्रमांक-311, श्री राजेन्द्र सिंह को ज्येष्ठता क्रमांक-312 एवं श्री बृजेन्द्र कुमार (सेवानिवृत्त) को ज्येष्ठता क्रमांक-313 पर अवस्थित किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त श्री शिव शंकर द्वारा अपना नाम शिव शंकर उपाध्याय के स्थान पर शिव शंकर किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के अनुक्रम में उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त टंकण त्रुटि पाते हुये संलग्न ज्येष्ठता सूची में उनका नाम श्री शिव शंकर उपाध्याय के स्थान पर श्री शिव शंकर तथा भर्ती के स्रोत "पदोन्नति" के स्थान पर लोक सेवा आयोग (डिग्री कोटा) अंकित कर दिया गया है।

शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा के स्थान पर ए0एम0आई0ई0 अंकित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के अनुक्रम में स्पष्ट किया जाना है कि श्री शिव शंकर द्वारा प्राप्त की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी ए0एम0आई0ई0 की डिग्री की प्रमाणिकता किये जाने के उपरान्त उनकी शैक्षिक योग्यता में परिवर्धन कर दिया जायेगा।

(6) श्री त्रियुगी नारायण सिंह एवं श्री मुनेश पाल सिंह द्वारा क्रमश: क्रमांक-284 एवं 298 पर अंकित अपना नाम सही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि सेवा सम्बन्धी अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री त्रियुगी नारायण सिंह श्री मुनेश पाल सिंह द्वारा की गयी आपत्ति की पुष्टि होने के फलस्वरूप उनके नाम में हुए टंकण त्रुटि का निराकरण कर यथा स्थान संशोधन कर दिया गया है।

(7) श्री अशोक द्वारा क्रमांक-299 पर अंकित "पिछड़ी जाति" के स्थान पर "सामान्य वर्ग" उल्लिखित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि श्री अशोक द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति की लोक सेवा आयोग से पदोन्नति विषयक चयन सूची से पुष्टि किये जाने के उपरान्त संलग्नक ज्येष्ठता सूची में यथा स्थान 'पिछड़ी जाति' के स्थान पर 'सामान्य वर्ग' अंकित कर दिया गया है।

(8) श्री देवेन्द्र बाल्यान द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से आरक्षित विकलांग श्रेणी के अन्तर्गत चयनित होने के कारण ज्येष्ठता सूची में 'पिछड़े वर्ग' के स्थान पर 'विकलांग श्रेणी' के अन्तर्गत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्रेषित श्री देवेन्द्र बाल्यान की सहायक अभियंता के पद पर चयन से सम्बन्धित अभिलेखों एवं श्रेष्ठता सूची से पुष्टि किये जाने के उपरान्त संलग्न ज्येष्ठता सूची में उनके नाम के सम्मुख यथा स्थान 'पिछड़े वर्ग' के स्थान पर 'विकलांग श्रेणी' अंकित कर दिया गया है।

(9) श्री बाल कृष्ण द्वारा अपना गृह जनपद अलीगढ़ के स्थान पर महामायानगर (हाथरस) किये जाने विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6606/62-3-2005-150आरईएस/2005, दिनांक 16-12-2005 की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न करते हुए अपना गृह जनपद-महामायानगर (हाथरस) किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि श्री बाल कृष्ण द्वारा किये गये अनुरोध के अनुक्रम में उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 16-12-2005 द्वारा श्री बाल कृष्ण का गृह जनपद-अलीगढ़ के स्थान पर जनपद-महामायानगर (हाथरस) किया गया है। अतएव इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिलेखों से पुष्टि होने के फलस्वरूप श्री बाल कृष्ण का गृह जनपद-महामायानगर (हाथरस) जो वर्तमान में हाथरस हो गया है, तद्नुसार संशोधन कर दिया गया है।

(10) श्री त्रियुगी नारायण सिंह द्वारा श्री अभय शंकर सिंह की जन्म तिथि 10-5-1957 के स्थान पर 5-10-1957 अंकित होने, श्री दबीरूद्दीन की प्रथम नियुक्ति की तिथि 27-7-2005 अंकित होने तथा क्रमांक-242 पर श्री राज कुमार श्रीवास्तव का नाम अंकित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल सूची में इनका नाम सम्मिलित नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस संबंध में स्पष्ट किया जाना है कि टंकण त्रुटि के फलस्वरूप श्री अभय शंकर सिंह की जन्म तिथि 10-5-1957 के स्थान पर 5-10-1957 हो गयी थी, जिसे निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सेवा विवरण के आधार पर संशोधन करते हुये श्री अभय शंकर की जन्म तिथि 10-5-1957 कर दी गयी है। श्री दबीरूद्दीन की प्रथम नियुक्ति की तिथि लिपिकीय त्रुटिवश 27-7-2005 अंकित हो थी, जबकि इनकी प्रथम नियुक्ति की वास्तविक तिथि 12-6-1985 है, इसे श्री दवीरूद्दीन की नियुक्ति से सम्बन्धित आदेश के आधार पर सुधार कर ठीक कर दिया गया है। क्रमांक-242 पर श्री राज कुमार श्रीवास्तव नहीं अपितु श्री राम कुमार श्रीवास्तव के नाम का उल्लेख है, जिनके प्रथम नियुक्ति की तिथि 12-6-1985 है एवं इनका नियमितीकरण दिनांक 27-7-2005 को रिट याचिका संख्या-8575(एस/बी)/93 में पारित निर्णय के आधार पर किया गया है। इस प्रकार श्री राम कुमार श्रीवास्तव को प्रथम नियुक्ति की तिथि के अनुसार यथा स्थान रखा गया है।

(11) श्री एस0ए0एच0 रिजवी एवं श्री त्रियुगी नारायण सिंह द्वारा जिनकी प्रथम नियुक्ति विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना में हुई थी और बाद में इनका समायोजन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में हुआ, द्वारा अपने पैतृक विभाग में प्रारम्भ की गयी प्रथम नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की पूर्व में निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इस प्रकार की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए यह मत अवधारित किया गया था कि यदि "यदि कोई सरकारी सेवक सेवा स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी विभाग से आता है और उसका संविलियन उस विभाग में कर लिया जाता है, तब उसे संविलियन के दिनांक, जब उसने सहायक अभियंता संवर्ग की सदस्यता ग्रहण की, से वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी और उसकी पूर्व सेवाओं का लाभ वरिष्ठता निर्धारण के लिए नहीं बल्कि पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के लिए, उसे यह लाभ सी0एस0आर0 के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप देय होगा।"

इस प्रकार पूर्व की भॉति ऐसे अभियन्ताओं को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में समायोजन के उपरान्त की गयी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(12) श्री राजेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जिनकी प्रथम नियुक्ति लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 29-4-1976 द्वारा सहायक अभियंता, लघु सिंचाई के पद पर किया गया था और जिनका संविलियन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में आदेश दिनांक 31-8-1981 द्वारा किया गया था द्वारा अपने पैतृक विभाग में प्रारम्भ की गयी प्रथम नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की पूर्व में निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में इस प्रकार की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए यह मत अवधारित किया गया था कि यदि "यदि कोई सरकारी सेवक सेवा स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी विभाग से आता है और उसका संविलियन उस विभाग में कर लिया जाता है, तब उसे संविलियन के दिनांक, जब

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उसने सहायक अभियंता संवर्ग की सदस्यता ग्रहण की, से वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी और उसकी पूर्व सेवाओं का लाभ वरिष्ठता निर्धारण के लिए नहीं बल्कि पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के लिए, उसे यह लाभ सी0एस0आर0 के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप देय होगा।"

इस प्रकार पूर्व की भाँति ऐसे अभियन्ताओं को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में समायोजन के उपरान्त की गयी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(13) श्री जितेन्द्र कुमार सिंह एवं श्री प्रकाश चन्द्र जैन द्वारा अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि याची श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी के साथ ही शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-6-1985 द्वारा इन्हें तदर्थ रूप से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति आदेश के क्रम संख्या-32 पर याची श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी एवं इन दोनों के नाम क्रमश: क्रमांक-38 एवं 40 पर उल्लिखित है। नियुक्ति आदेश दिनांक 12-6-1985 से दिनांक 19-9-1995 तक 10 वर्ष से अधिक अवधि तक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इनके द्वारा मण्डी परिषद में योगदान किया गया था तथा दिनांक 19-9-1995 को इनका संविलियन/ नियुक्ति मण्डी परिषद में उप निदेशक, (निर्माण) के पद पर हो गया था। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 7-4-2015 के अनुपालन में तदर्थ रूप से की गयी सेवा के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने एवं पेंशन के अतिरिक्त समस्त हित लाभ नोशनल रूप से प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इनके द्वारा दिनांक 31-12-2015 को निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करते हुए आपत्ति आमंत्रित नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा याची श्री एन0के0 त्रिपाठी के साथ ही विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त होने के कारण अन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि 12-6-1985 से नियमानुसार समस्त वांछित/देय सेवा लाभ प्रदान किये जाने हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री जितेन्द्र कुमार सिंह एवं श्री प्रकाश चन्द्र जैन याची श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी के साथ ही शासन के आदेश दिनांक 12-6-1985 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त हुए थे, परन्तु इनके द्वारा उल्लिखित तथ्यों के अनुसार 10 वर्ष से अधिक की सेवा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में पूर्ण करने के उपरान्त इनका संविलियन दिनांक 19-9-95 को मण्डी परिषद में हो गया था। इस प्रकार अन्य विभाग में संविलियन हो जाने के कारण इन्हें पूर्व निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में सम्मिलित नहीं किया गया था और इसी आधार पर इन्हें दिनांक 31-12-2015 को निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में भी सम्मिलित नहीं किया गया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से अन्य विभाग में संविलियन हो जाने के कारण इनके द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में पूर्व में की गयी सेवाओं का लाभ वरिष्ठता निर्धारण के लिए नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बल्कि पेंशन के अतिरिक्त तथा अन्य सुविधाओं के लिए सी0एस0आर0 के सुसंगत प्राविधानों एवं अन्य प्रचलित नियमों के अनुरूप देय होगा।

(14) श्री अरविन्द कुमार एवं श्री हबीबुल्लाह द्वारा अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 31-12-2015 को निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-452 एवं 453 पर अंकित क्रमश: श्री अरूण कुमार वर्मा एवं श्री नूर आलम, सहायक अभियंताओं की नियमित नियुक्ति की तिथि 16-2-2016 दर्शायी गयी है, जबकि उनके नियमित नियुक्ति की तिथि 16-2-2015 होने के बाद भी उन्हें अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-454, 455 एवं 458 अर्थात क्रमांक-452 एवं 453 के नीचे रखा गया है।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-5 में यह प्राविधान किया गया है कि "जहॉ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों, वहां किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथा स्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी है।" अत: नियुक्ति की तिथि पहले की होने के बावजूद लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के अनुसार नाम ऊपर होने के कारण श्री अरूण कुमार वर्मा एवं श्री नूर आलम को ज्येष्ठता सूची में आपत्तिकर्ताओं से ऊपर रखा गया है, जो सुसंगत नियमो के अधीन है।

श्री अरविन्द कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-454) द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता बी0ई0 सिविल के स्थान पर बी0टेक0 सिविल किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे स्वीकार करते हुए ज्येष्ठता सूची में यथावश्यक संशोधन कर दिया गया है।

(15) श्री अजय सिंघल एवं श्री राम चन्द्र शुक्ल आदि द्वारा श्री अभय शंकर को ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-183 पर रखे जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है।

इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि श्री अभय शंकर सिंह को रिट याचिका संख्या-1302(एस/एस)/2003 के अन्तरिम आदेश दिनांक 03-3-2003 के अनुपालन में विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-8-2003 द्वारा सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 21-12-1984 से तदर्थ पदोन्नति, उक्त रिट पिटीशन में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की गयी थी एवं आदेश दिनांक 09-10-2006 द्वारा विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर दिनांक 17-6-92 से उक्त रिट पिटीशन में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन विनियमित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका दिनांक 12-10-2007 को निरस्त कर दिये जाने के कारण आदेश दिनांक 25-4-2010 द्वारा श्री सिंह को अवर अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया। पुन: श्री अभय शंकर सिंह द्वारा योजित रिट याचिका सं0-588(एस/बी)/2010 के अन्तरिम आदेश दिनांक 11-5-2010 द्वारा शासन के उक्त आदेश दिनांक 25-4-2010 को स्थगित कर दिया गया। फलस्वरूप शासन के आदेश दिनांक 13-8-2010 द्वारा श्री अभय शंकर सिंह को पुन: 25-4-2010 से सहायक अभियंता के पद पर रिट याचिका संख्या-588(एस/बी)/2010 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन तैनात किया गया। इस प्रकार श्री अभय शंकर सिंह को सहायक अभियंता के पद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पर तदर्थ रूप से पदोन्नति की तिथि 21-12-84 से ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।

(16) ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-285, 286, 287 एवं 288 पर उल्लिखित क्रमश: श्री आनन्द कृष्ण शुक्ल (से0नि0), श्री मदन पाल सिंह (से0नि0), श्री एस0ए0एच0 रिजवी एवं श्री अजय आर्या (से0नि0) के सेवा संबंधी अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त उनकी शैक्षिक योग्यता बी0ई0 सिविल के स्थान पर डिप्लोमा सिविल पाये जाने की स्थिति में यथास्थान आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

(17) **श्री रविकान्त वर्मा,** (ज्येष्ठता क्रमांक-295) सहायक अभियंता द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता बी0टेक0 सिविल के स्थान पर बी0ई0 सिविल किये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु साक्ष्य के रूप में कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। वर्णित स्थिति में प्रमाणित साक्ष्य/अभिलेख के अभाव में शैक्षिक योग्यता में संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।

(18) श्री मुनेश कुमार लोधी, (ज्येष्ठता क्रमांक-457) सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं श्री श्रीकृष्ण जायसवाल (ज्येष्ठता क्रमांक-455) सहायक अभियंता द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता बी0ई0 सिविल के स्थान पर बी0टेक0 सिविल किये जाने तथा कुँ0 सुरेन्द्र प्रताप, (ज्येष्ठता क्रमांक-456) द्वारा अपना नाम कुँ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर कुँ0 सुरेन्द्र प्रताप एवं शैक्षिक योग्यता बी0ई0 सिविल के स्थान पर बी0टेक सिविल किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे सहायक अभियंता के पद पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एवं उनके चयन से सम्बन्धित श्रेष्ठता सूची के परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत की गयी आपत्ति की पुष्टि होने के फलस्वरूप श्री मुरेश कुमार लोधी, श्री कृष्ण जायसवाल एवं श्री कुँ0 सुरेन्द्र प्रताप की शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित कालम में बी0ई0 सिविल के स्थान पर बी0टेक सिविल तथा श्री कुँ0 सुरेन्द्र प्रताप का नाम श्री कुँ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर श्री कुँ0 सुरेन्द्र प्रताप कर दिया गया है।

(19) श्री बृजेश कुमार दुबे, अधिशासी अभियंता, प्रभारी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ द्वारा पत्र दिनांक 16-3-2016 के माध्यम से दिनांक 12-01-2016, दिनांक 11-2-2016 एवं इसके अतिरिक्त दिनांक 21-01-2016 को लोक सेवा आयोग के समस्त सहायक अभियंताओं के साथ प्रस्तुत की गयी आपत्ति का संदर्भ देते हुये अपने पूर्व प्रेषित प्रत्यावेदन के कुछ बिन्दुओं पर मिल कर विस्तृत रूप से अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-4-2015 के समादर में समस्त प्रभावी पक्षों की आपत्तियाँ प्राप्त कर सम्यक् रूप से निस्तारण किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार दुबे द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी समस्त आपत्तियों का सम्यक् रूप से निस्तारण उनके समान ही प्राप्त अन्य आपत्तियों के साथ उपर्युक्त संगत प्रस्तरों में कर दिया गया है। उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में व्यक्तिगत रूप से मिल कर विस्तृत रूप से अवगत कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अत: इस बिन्दु पर श्री बृजेश कुमार दुबे द्वारा किया गया अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(20) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-383 पर उल्लिखित श्री राम चन्द्र पाण्डेय (सेवानिवृत्त) की जन्म तिथि 15-7-1956 के स्थान पर 07-8-1955 तथा गृह जनपद-सुलतानपुर के स्थान पर वाराणसी किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में यथास्थान आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

(21) जहॉ तक श्री एस0के0 त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता, श्री जवाहर सिंह एवं श्री गुलाम रसूल द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित अपनी जन्मतिथि में संशोधन किये जाने का प्रश्न है, स्पष्ट करना है कि जन्मतिथि में संशोधन का प्रकरण उ0प्र0 सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारणा), नियमावली-1974 से आच्छादित होता है। सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा उचित माध्यम से प्रस्तुत आवेदन प्राप्त होने के पश्चात सम्बन्धित शैक्षिक/शासकीय अभिलेखों से पुष्टि होने के पश्चात ही इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से पृथक से निर्णय लेकर सुसंगत शासकीय आदेश जारी किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव है अभी इस प्रक्रम पर उसे विचार क्षेत्र में लिया जाना सम्भव नहीं है।

(22) श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद-मुजफ्फरनगर द्वारा अपना गृह जनपद-अलीगढ़ के स्थान पर मेरठ किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि किसी सरकारी सेवक के गृह जनपद को परिवर्तित करने का मामले एक पृथक प्रकरण है तथा इस सम्बन्ध में सरकारी सेवक द्वारा आवेदन देने के पश्चात उसके गृह जनपद से सम्बन्धित जिला प्रशासन की रिपोर्ट तथा मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर के सुसंगत पैरा के आलोक में परीक्षण करने के पश्चात सक्षम स्तर से सुसंगत आदेश निर्गत किया जाना सम्भव है। अभी इस प्रकरण पर गृह जनपद में परिवर्तन के मामले को विचार क्षेत्र में लिया जाना सम्भव नहीं है।

18- अस्तु श्री राज्यपाल अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 31-12-2015 के विरूद्ध प्राप्त उपरोक्त समस्त आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निस्तारण करते हुए संलग्नक के अनुसार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की अन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची एतद्द्वारा सभी संबंधित के उपयोगार्थ निर्गत करने के आदेश प्रदान करते हैं।

<u>संलग्नक:-</u> **<u>यथोक्त (सूची संलग्न)</u>**

(अजय कुमार सिंह)
सचिव।

<u>संख्या-12/2016/966(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस सूची में सम्मिलित सभी अधिकारियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को संलग्नक सहित इस कार्यालय ज्ञाप की एक-एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

3- समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय-ज्ञाप को संलग्न ज्येष्ठता सूची सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 के सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-12/2016/966 /92-1-2016-98डब्लू/2001, दिनांक 22 /03/2016 का संलग्नक।

ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	श्रेणी	तदर्थ/मौलिक नियुक्ति की तिथि			भर्ती का स्रोत
						प्रथम नियुक्ति आदेश सं	सहा0अभि0 के पद पर प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक	नियमित नियुक्ति की तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सलाहउद्दीन (से0नि0)	आजमगढ़	05-07-1948	बी0ई0सिविल	सामान्य	3191	19-07-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
2	बृजनन्दन तिवारी (अनि0 से0नि0)	इलाहाबाद	09-07-1945	बी0ई0सिविल	सामान्य	3191	19-07-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
3	प्रेम शंकर पाण्डेय (से0नि0)	कानपुर	07-11-1945	एम0टेक0 सिविल	सामान्य	4336	04-09-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
4	सतीश कुमार बजाज (से0नि0)	दिल्ली	20-04-1949	बी0ई0सिविल	सामान्य	4337	06-09-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
5	अवधबिहारीलाल संगल (अनि0 से0नि0)	मुजफ्फरनगर	19-04-1946	बी0ई0सिविल	सामान्य	4337	06-09-1972	28-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
6	कपिल देव गिरि (अनि0 से0नि0)	रोहतास (बिहार)	30-01-1948	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	4337	06-09-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
7	वरुण कुमार भट्टाचार्य (से0नि0)	वर्द्धमान (पं0बंगाल)	02-08-1948	बी0ई0सिविल	सामान्य	4337	06-09-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
8	राज किशोर गोयल (अनि0 से0नि0)	मेरठ	21-01-1949	बी0ई0सिविल	सामान्य	4581	03-10-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
9	के0 एल0 ज्ञानचन्दानी (से0नि0)	दिल्ली	05-07-1949	बी0ई0सिविल	सामान्य	4581	03-10-1972	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
10	मो0 शरीफ खां (से0नि0)	रामपुर	20-08-1945	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	4581	03-10-1972	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
11	चन्द्रिका प्रसाद तिवारी (से0नि0)	पूर्वी चंपारन (बिहार)	15-01-1948	बी0ई0सिविल	सामान्य	4581	03-10-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
12	विजय कुमार जैन (अनि0 से0नि0)	देहरादून	05-01-1946	बी0ई0सिविल	सामान्य	4581	03-10-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
13	शिशिर कुमार सिंह (मृतक)	पटना,बिहार	08-04-1949	बी0ई0सिविल	सामान्य	4581	03-10-1972	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
14	प्रमोद कुमार बंसल (से0नि0)	आगरा	15-06-1950	बी0ई0सिविल	सामान्य	6113	28-10-1972	07-03-1983	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
15	कृष्ण चन्द्र पाण्डेय (से0नि0)	फर्रूखाबाद	01-09-1936	डिप0इं0सिविल	सामान्य	7422	22-11-1972	17-06-1992	पदोन्नति, संविलियन
16	राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा (से0नि0)	आजमगढ़	14-07-1934	डिप0इं0सिविल	सामान्य	7422	22-11-1972	17-06-1992	पदोन्नति, संविलियन
17	तुलसीराम यादव (से0नि0)	सीतापुर	01-07-1936	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	7422	22-11-1972	17-06-1992	पदोन्नति, संविलियन
18	ओम प्रकाश पाण्डेय (से0नि0)	बाराबंकी	30-10-1936	डिप0इं0सिविल	सामान्य	7422	22-11-1972	17-06-1992	पदोन्नति, संविलियन
19	जनार्दन दत्त पाण्डेय (से0नि0)	गोरखपुर	14-08-1936	डिप0इं0सिविल	सामान्य	7422	22-11-1972	17-06-1992	पदोन्नति, संविलियन
20	मनमोहन सहाय पाण्डेय (से0नि0)	बरेली	30-07-1935	डिप0इं0सिविल	सामान्य	7422	22-11-1972	17-06-1992	पदोन्नति, संविलियन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	अब्दुल वाहिद (से0नि0)	बलिया	01-12-1941	डिप0इं0सिविल	सामान्य	7422	22-11-1972	17-06-1992	पदोन्नति, संविलियन
22	सतीश कुमार शर्मा (से0नि0)	बिजनौर	02-02-1950	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	5831	04-12-1972	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
23	राजीव प्रकाश बिड़ला (से0नि0)	एटा	10-09-1947	बी0ई0सिविल	सामान्य	5831	04-12-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
24	बृजभूषण सिंह (से0नि0)	आगरा	15-07-1945	बी0ई0सिविल	सामान्य	5831	04-12-1972	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
25	अफाक अहमद (से0नि0)	मेरठ	18-08-1945	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	5831	04-12-1972	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
26	नन्द कुमार (से0नि0)	गोरखपुर	01-07-1947	बी0ई0सिविल	सामान्य	5831	04-12-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
27	सूर्यदेव शर्मा (से0नि0)	पटना,बिहार	01-01-1947	बी0ई0सिविल	सामान्य	5831	04-12-1972	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
28	राजेन्द्र यादव (से0नि0)	मधुबनी,बिहार	01-01-1949	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	5831	04-12-1972	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
29	सन्तोष राय (से0नि0)	वाराणसी	15-09-1947	बी0ई0सिविल	सामान्य	5831	04-12-1972	07-03-1983	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
30	शिव दयाल सिंह (से0नि0)	रोहतास,बिहार	03-07-1948	बी0ई0सिविल	सामान्य	5831	04-12-1972	20-06-1984	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
31	बृजेन्द्र कुमार गुप्ता (से0नि0)	वाराणसी	01-07-1947	बी0ई0सिविल	सामान्य	8797	29-12-1972	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
32	प्रभात कुमार सिंह (से0नि0)	भागलपुर ,बिहार	23-12-1949	बी0ई0सिविल	सामान्य	8797	29-12-1972	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
33	सुभाष सिंह (से0नि0)	आजमगढ़	28-06-1948	बी0ई0सिविल	सामान्य	8797	29-12-1972	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
34	ओम प्रकाश कपूर (से0नि0)	कानपुर	05-02-1945	बी0ई0सिविल	सामान्य	8797	29-12-1972	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
35	मो0 हुसैन रहमानी (से0नि0)	मुंगेर,बिहार	04-01-1948	बी0ई0सिविल	सामान्य	8797	29-12-1972	07-03-1983	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
36	सत्येन्द्र सिंह गंगवार (से0नि0)	फर्रुखाबाद	10-06-1948	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	209	20-01-1973	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
37	प्रकाश आर्या (से0नि0)	आगरा	30-01-1945	बी0ई0सिविल	सामान्य	209	20-01-1973	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
38	नरेश कुमार अग्रवाल (से0नि0)	मुजफ्फरनगर	02-11-1946	बी0ई0सिविल	सामान्य	209	20-01-1973	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
39	दुष्यन्त वीर सिंह (से0नि0)	अलीगढ़	05-08-1951	बी0ई0सिविल	सामान्य	209	20-01-1973	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
40	चिरकुटिया बर्डे (से0नि0)	बेतूल,म0 प्र०	16-05-1947	बी0ई0सिविल	सामान्य	557	05-02-1973	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
41	जगत नारायण तिवारी (से0नि0)	बलिया	31-01-1949	बी0ई0सिविल	सामान्य	557	05-02-1973	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
42	राज नारायण तिवारी (से0नि0)	मुजफ्फरपुर ,बिहार	15-06-1949	बी0ई0सिविल	सामान्य	557	05-02-1973	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
43	मो0 जहरूल हसन (से0नि0)	सहरसा,बिहार	22-07-1946	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	557	05-02-1973	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
44	प्रभुलाल भण्डारी (से0नि0)	कोटा ,राज0	10-09-1946	बी0ई0सिविल	सामान्य	557	05-02-1973	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
45	गोपाल सिंह विष्ट (से0नि0)	अल्मोड़ा	19-04-1939	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1180	21-03-1973	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

46	मुश्ताक अहमद अंसारी (से0नि0)	पटना,बिहार	20-07-1949	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	1744	22-03-1973	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
47	एम0 के0 भार्गव (से0नि0)	ग्वालियर, म0प्र0	06-08-1950	बी0ई0सिविल	सामान्य	1744	22-03-1973	08-04-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
48	मदन मोहन श्रीवास्तव	गोरखपुर	01-06-1956	बी0ई0सिविल	सामान्य	9340	12-01-1979	25-10-1983	सीधी भर्ती, लो0 सेवा आयोग
49	विजय नारायण सिंह (से0नि0)	जौनपुर	03-01-1953	एम0टेक0 सिविल	सामान्य	9340	12-01-1979	13-09-1984	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
50	चन्द्र भूषण पाण्डेय (से0नि0)	बलिया	01-07-1955	बी0ई0सिविल	सामान्य	9340	12-01-1979	10-08-1983	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
51	महमूद इलाही (से0नि0)	वाराणसी	30-06-1955	एम0टेक0 सिविल	सामान्य	9340	12-01-1979	11-06-1984	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
52	पृथ्वी राज राय (से0नि0)	गोरखपुर	03-12-1953	बी0ई0सिविल	सामान्य	2908	06-04-1979	13-06-1984	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
53	बलराम केसरी (से0नि0)	इलाहाबाद	15-10-1953	बी0टेक0 सिविल	सामान्य	2908	06-04-1979	13-06-1984	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
54	अशोक कुमार द्विवेदी (से0नि0)	ग्वालियर , म0प्र0	12-04-1955	बी0ई0सिविल	सामान्य	2908	06-04-1979	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
55	सदरुद्दीन (से0नि0)	आजमगढ़	31-07-1953	बी0ई0सिविल	सामान्य	2908	06-04-1979	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
56	राजेन्द्र प्रसाद शाक्य (से0नि0)	इटावा	20-12-1951	बी0टेक0 सिविल	पिछड़ी जा0	2908	06-04-1979	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
57	रवीन्द्र कुमार (स्वै0 से0नि0)	बुलन्दशहर	03-11-1953	बी0ई0सिविल	सामान्य	2908	06-04-1979	12-07-2005	सीधी भर्ती] विनियमितीकरण
58	चन्दन लाल (से0नि0)	गोरखपुर	01-07-1952	बी0ई0सिविल	सामान्य	6157	31-08-1979	13-06-1984	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
59	आनन्द राजा (से0नि0)	बलिया	08-02-1954	बी0ई0सिविल	सामान्य	6157	31-08-1979	25-11-1988	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
60	मंजूर अहमद (से0नि0)	सिद्धार्थनगर	15-07-1954	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	6157	31-08-1979	13-06-1984	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
61	प्रदीप कुमार गुप्ता (से0नि0)	मुरादाबाद	15-03-1954	बी0ई0सिविल	सामान्य	6157	31-08-1979	13-06-1984	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
62	माधव सक्सेना (से0नि0)	लखनऊ	12-11-1955	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	6157	31-08-1979	13-06-1984	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
63	सतीश कुमार त्रिपाठी (से0नि0)	कानपुर	13-01-1953	बी0ई0सिविल	सामान्य	6157	31-08-1979	13-06-1984	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
64	उमेश चन्द्र राय (मृतक)	रायबरेली	05-01-1953	बी0ई0सिविल	सामान्य	6157	31-08-1979	13-06-1984	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
65	महेश्वर सिंह (से0नि0)	सहारनपुर	03-06-1954	बी0ई0सिविल	सामान्य	6157	31-08-1979	13-06-1984	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
66	दिलीप कुमार वर्मा (से0नि0)	जौनपुर	15-08-1954	बी0ई0सिविल	सामान्य	6592	31-08-1979	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
67	चन्द्र मोहन (से0नि0)	देवरिया	19-05-1954	बी0ई0सिविल	सामान्य	6592	31-08-1979	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
68	अरुण कुमार अग्रवाल	देहरादून	02-06-1957	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	6592	31-08-1979	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
69	कमलेश सिंह (से0नि0)	मिर्जापुर	09-05-1951	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	6592	31-08-1979	31-08-1979	सीधी भर्ती, लो0से0 आयोग
70	नवल किशोर श्रीवास्तव (से0नि0)	गाजीपुर	15-07-1952	बी0टेक0 सिविल	सामान्य	####	05-01-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

71	वेंकट रमन (से0नि0)	जौनपुर	01-05-1951	बी0टेक0 सिविल	सामान्य	####	05-01-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
72	शिव पूजन सिंह (से0नि0)	वाराणसी	15-06-1950	बी0ई0सिविल	सामान्य	####	05-01-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
73	कृष्ण मुरारी दीक्षित (से0नि0)	वाराणसी	01-07-1951	बी0ई0सिविल	सामान्य	####	05-01-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
74	धीरेन्द्र सहाय (से0नि0)	वाराणसी	20-09-1955	एम0टेक0 सिविल	सामान्य	####	05-01-1981	10-08-1983	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
75	कैलाश नाथ पाठक (अनि0से0नि0)	आजमगढ़	10-06-1949	बी0ई0सिविल	सामान्य	####	05-01-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
76	दयाशंकर (से0नि0)	फैजाबाद	12-09-1950	बी0ई0सिविल	सामान्य	####	05-01-1981	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
77	भूषण सिंह (से0नि0)	भोजपुर,बिहार	15-06-1948	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2284	20-04-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
78	राबिन रंजन चटर्जी (से0नि0)	पं0 बंगाल	09-06-1948	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2284	20-04-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
79	अर्जुन रविदास (से0नि0)	सं0 परगना ,बिहार	01-07-1949	डिप0इं0सिविल	अनु जाति	2284	20-04-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
80	मो0 अली (मृतक)	अलीगढ़	14-06-1948	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2284	20-04-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
81	रामानुज प्रसाद (से0नि0)	,बिहार	02-07-1948	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2284	20-04-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमतीकरण
82	बांके बिहारी प्रसाद मेढ़ (से0नि0)	बक्सर ,बिहार	12-07-1948	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2284	20-04-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
83	जहीरूद्दीन अंसारी (से0नि0)	नवादा ,बिहार	14-09-1948	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	2284	20-04-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
84	नरेन्द्र सिंह (से0नि0)	मुरादाबाद	10-12-1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2284	20-04-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
85	बालादीन वर्मा (से0नि0)	जालौन	03-07-1943	डिप0इं0सिविल	अनु जाति	2284	20-04-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
86	दुर्गा प्रसाद जाटव (से0नि0)	लखीमपुर	01-01-1946	डिप0इं0सिविल	अनु जाति	2284	21-04-1981	17/6/19992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
87	मो0 इरफान (डिग्री कोटा) (से0नि0)	मुरादाबाद	01-07-1950	ए0एम0आई0ई0	सामान्य	2284	20-04-1981	29-01-1993	पदोन्नति, विनियमितीकरण
88	जान मोहम्मद (से0नि0)	अलीगढ़	02-06-1944	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2284	20-04-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
89	रवीन्द्र कुमार चैरसिया (से0नि0)	साहबगंज ,बिहार	21-01-1943	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	2284	20-04-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
90	शिव कुमार सिंह यादव (से0नि0)	गाजीपुर	01-01-1950	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	4007	17-06-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
91	जयराम प्रसाद (से0नि0)	गया ,बिहार	05-06-1949	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	4007	17-06-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
92	प्रणव कुमार कुन्डु (से0नि0)	गिरडीह,बिहार	20-07-1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	4007	17-06-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
93	बृजेश कुमार जैन (से0नि0)	मेरठ	05-08-1947	डिप0इं0सिविल	सामान्य	4007	17-06-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
94	बब्बन तिवारी (से0नि0)	भोजपुर,बिहार	23-11-1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	4007	17-06-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
95	केदारनाथ वर्मा (से0नि0)	सहरसा,बिहार	21-06-1951	डिप0इं0सिविल	सामान्य	4007	17-06-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

96	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (से0नि0)	हरदोई	30-06-1951	डिप0इं0सिविल	सामान्य	4007	17-06-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
97	सैय्यद अब्दुल वाहिद (से0नि0)	हमीरपुर	10-01-1947	डिप0इं0सिविल	सामान्य	4007	17-06-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
98	वी0के0 सक्सेना (से0नि0)	अलीगढ़	18-06-1940	डिप0इं0सिविल	सामान्य	4007	17-06-1981	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
99	राजीव कुमार गोयल (मृतक)	मुजफ्फरनगर	01-07-1953	बी0ई0सिविल	सामान्य	4960	02-07-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
100	नारायण भास्कर मिश्र (से0नि0)	गोरखपुर	14-12-1953	बी0ई0सिविल	सामान्य	4960	02-07-1981	25-11-1988	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
101	अमरपाल राय (से0नि0)	बस्ती	15-07-1952	बी0ई0सिविल	सामान्य	4960	02-07-1981	25-11-1988	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
102	सैयद मो0 हुंमायू जाह	लखनऊ	19-06-1956	बी0ई0सिविल	सामान्य	4960	02-07-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
103	जुबैर आलम (से0नि0)	बहराइच	01-07-1954	बी0ई0सिविल	सामान्य	4960	02-07-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
104	शशि शंकर शर्मा (से0नि0)	अलीगढ़	04-03-1953	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	4960	02-07-1981	25-11-1988	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
105	तारकेश्वर नाथ त्रिपाठी (मृतक)	गोरखपुर	11-11-1952	बी0ई0सिविल	सामान्य	5958	17-08-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
106	राजीव कुमार गुप्ता	मुरादाबाद	17-09-1956	बी0ई0सिविल	सामान्य	5958	17-08-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
107	रियाज अली	इटावा	08-06-1956	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	5958	17-08-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
108	खालिद नियाज बेग (से0नि0)	लखनऊ	06-08-1954	बी0टेक0 सिविल	सामान्य	5958	17-08-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
109	राजेश कुमार सिंह (मृतक)	लखनऊ	02-09-1952	बी0ई0सिविल	सामान्य	5958	17-08-1981	25-11-1988	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
110	चन्द्र प्रकाश शर्मा (से0नि0)	अलीगढ़	09-02-1951	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	5958	17-08-1981	25-11-1988	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
111	राजेश चंद्र श्रीवास्तव (से0नि0)	देवरिया	01-05-1950	बी0ई0सिविल	सामान्य	5186	31-08-1981	25-09-1981	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
112	जय चन्द्र सिंह (से0नि0)	गोरखपुर	01-01-1952	बी0ई0सिविल	सामान्य	6827	03-10-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
113	प्रफुल्ल कुमार गुप्ता (से0नि0)	इटावा	21-06-1951	बी0ई0सिविल	सामान्य	6827	03-10-1981	23-08-1986	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
114	सफीउद्दीन अहमद (से0नि0)	बदायूं	03-07-1935	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2281	11-03-1982	17-06-1992	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
115	ब्रम्हदेव पाठक (से0नि0)	भागलपुर, विहार	18-11-1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	5778	07-07-1982	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
116	बाल कृष्ण (से0नि0)	`शाजहांपुर	03-07-1947	बी0ई0सिविल	सामान्य	5778	07-07-1982	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
117	सुभाष चन्द्र उपाध्याय (से0नि0)	आगरा	03-01-1950	डिप0इं0सिविल	सामान्य	5778	07-07-1982	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
118	बृजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (से0नि0)	बुलन्दशहर	15-10-1946	डिप0इं0सिविल	सामान्य	5778	07-07-1982	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
119	राम प्रकाश गौड (से0नि0)	फिरोजाबाद	10-07-1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	5778	07-07-1982	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
120	लाखन सिंह (से0नि0)	आगरा	01-08-1948	डिप0इं0सिविल	सामान्य	5778	07-07-1982	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

121	मोती कुंवर (से0नि0)	मुजफ्फरपुर	01-10-1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	5778	07-07-1982	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
122	सिद्धनाथ सिंह (से0नि0)	भोजपुर . बिहार	13-01-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	5778	07-07-1982	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
123	अर्जुन शर्मा (से0नि0)	नालन्दा,बिहार	21-12-1950	डिप0इं0सिविल	सामान्य	5778	07-07-1982	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
124	राधेश्याम पाण्डेय (से0नि0)	रोहतास,बिहार	01-07-1951	डिप0इं0सिविल	सामान्य	5778	07-07-1982	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
125	हयात हुसैन खां (से0नि0)	बांदा	01-07-1952	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	1166	24-01-1983	07-02-1987	सीधी भर्ती, संविलियन
126	दीनानाथ पुत्र राम नारायन (से0नि0)	हरदोई	06-01-1944	-	सामान्य	1166	24-01-1983	07-02-1987	सीधी भर्ती, संविलियन
127	राम प्रकाश सिंह	सुल्तानपुर	03-10-1958	बी0ई0सिविल	सामान्य	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
128	अनिल कुमार गर्ग	देहरादून	12-08-1959	बी0ई0सिविल	सामान्य	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
129	रविन्द्र सिंह गंगवार	फर्रुखाबाद	01-07-1960	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
130	शैलेष अग्रवाल	अलीगढ़	07-12-1958	बी0ई0सिविल	सामान्य	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
131	मोहम्मद मेंहदी रिजवी (से0नि0)	बस्ती	25-10-1955	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
132	मुकुन्द कुमार श्रीवास्तव	फतेहपुर	21-09-1957	एम0टेक0 सिविल	सामान्य	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
133	सच्चिदा नन्द पाण्डेय	बलिया	01-07-1960	एम0इ0,जियो टेक	सामान्य	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
134	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (से0नि0)	इटावा	25-01-1952	बी0ई0सिविल	सामान्य	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
135	जय राम (से0नि0)	जालौन	15-06-1955	बी0टेक0 सिविल	अनु0 जाति	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
136	उमा शंकर	जौनपुर	25-10-1957	बी0ई0सिविल	अनु0 जाति	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
137	वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय	कानपुर	15-10-1957	बी0टेक0 सिविल	सामान्य	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
138	कमला शंकर (से0नि0)	फर्रुखाबाद	10-12-1947	बी0ई0सिविल	सामान्य	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
139	प्रदीप कुमार त्रिवेदी	हरदोई	13-11-1956	बी0ई0सिविल	सामान्य	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
140	कौशल किशोर मिश्रा	दरभंगा - बिहार	15-05-1958	बी0ई0सिविल	`समाज के अक्षम व्यक्ति	4961	10-08-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
141	शीलेन्द्र कुमार (से0नि0)	अलीगढ़	03-05-1954	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	8535	25-10-1983	25-10-1983	लो0 सेवा आयोग
142	जय प्रकाश (से0नि0)	वाराणसी	08-06-1950	बी0टेक0 सिविल	अनु जाति	8535	25-10-1983	10-08-1983	लो0 सेवा आयोग
143	सीताराम ठाकुर (से0नि0)	रोहतास - बिहार	08-05-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
144	मिश्रीलाल (से0नि0)	मथुरा	05-01-1947	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नतिए विनियमितीकरण
145	हयातुन्नबी खां (से0नि0)	मुरादाबाद	01-02-1947	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
146	अथरउल्लाह खां (से0नि0)	रामपुर	05-07-1947	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
147	स्वप्न कुमार चौधरी (से0नि0)	वीरभूमि	09-01-1948	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
148	अहसान अहमद (से0नि0)	मुजफ्फरपुर	26-07-1947	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

149	सीताराम कापरी (से0नि0)	भागलपुर, बिहार	17-02-1951	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
150	परमानन्द प्रसाद (से0नि0)	जहानाबाद, .बिहार	13-10-1951	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
151	विमलेन्द्र दास गुप्ता (से0नि0)	रांची , बिहार	25-10-1946	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
152	श्याम सुन्दर प्रसाद (से0नि0)	वाराणसी	24-07-1947	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
153	कृत्यानन्द झा (से0नि0)	कटिहार , बिहार	12-04-1948	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
154	अच्छे लाल (से0नि0)	भोजपुर , बिहार	10-01-1952	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
155	चन्द्रबली राय (से0नि0)	सिवान , बिहार	17-07-1948	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
156	उत्तम सिंह राठौर (से0नि0)	आगरा	15-01-1946	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
157	त्रिभुवन झा (मृतक)	भागलपुर, बिहार	02-01-1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
158	कृष्ण कुमार सिन्हा (से0नि0)	गया , बिहार	01-01-1952	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
159	अलीरहमान खाँ (डिग्री कोटा) (से0नि0)	बरेली	25-11-1951	डिप0इं0सिविल	सामान्य	9925	28-01-1984	29-01-1993	पदोन्नति, विनियमितीकरण
160	दुर्गादत्त (से0नि0)	अलीगढ़	15-07-1950	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
161	लक्ष्मी चौधरी (से0नि0)	रोहतास ,बिहार	19-01-1952	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
162	नवल किशोर सिंह (से0नि0)	बिहार	10-05-1946	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
163	रमाकान्त सिंह (से0नि0)	गोरखपुर	01-07-1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
164	पंचम प्रसाद (से0नि0)	छपरा ,बिहार	20-07-1949	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
165	सोम प्रकाश गुप्ता (डिग्री कोटा) (मृतक)	मैनपुरी	03-03-1958	बी0ई0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	29-01-1993	पदोन्नति, विनियमितीकरण
166	देवेन्द्र कुमार गुप्ता (से0नि0)	फर्रुखाबाद	01-09-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
167	राज कुमार त्यागी (से0नि0)	मेरठ	20-07-1950	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
168	सत्य नारायण प्रसाद (से0नि0)	पं0 चम्पारन ,बिहार	01-09-1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
169	अख्तर हुसैन (से0नि0)	मधुबनी ,बिहार	02-01-1951	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
170	चन्द्र पाल सिंह (से0नि0)	बुलन्दशहर	15-01-1950	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
171	हृदयेश मणि मिश्रा (से0नि0)	प्रतापगढ़	04-02-1952	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
172	केदार नाथ तिवारी (से0नि0)	मुज़फ्फर नगर	09-06-1950	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984		पदोन्नति, विनियमितीकरण
173	बृजेन्द्र प्रसाद मोदी	संथाल	31-05-1950	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी	392	17-05-1984		पदोन्नति,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(से0नि0)	परगना			जा0				विनियमितीकरण
174	ओम प्रकाश गंगल (से0नि0)	बुलन्दशहर	12-06-1950	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
175	विनोद कुमार श्रीवास्तव (से0नि0)	गोरखपुर	10-02-1950	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
176	लल्लन प्रसाद (से0नि0)	औरंगाबाद . बिहार	01-02-1953	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
177	सुशील कुमार सिंह (से0नि0)	अलीगढ़	24-11-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
178	शमशुद्दीन (से0नि0)	बस्ती	15-12-1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
179	शयाम नारायण पाण्डेय (से0नि0)	आजमगढ़	01-07-1951	डिप0इं0सिविल	सामान्य	392	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
180	कैलाश शंकर तिवारी	फतेहपुर	18-01-1957	बी0ई0सिविल	सामान्य	432	11-06-1984	11-06-1984	लो0 सेवा आयोग
181	अनिल कुमार श्रीवास्तव	सुल्तानपुर	01-05-1958	बी0ई0सिविल	सामान्य	432	11-06-1984	11-06-1984	लो0 सेवा आयोग
182	फरहत हुसैन आज़ाद (से0नि0)	चम्पारन, बिहार	10-05-1952	डिप0इं0सिविल	सामान्य	838	17-05-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
183	अभय शंकर सिंह	बलिया	10-05-1957	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2179	21-12-1984	17-06-1992	पदोन्नति, विनियमितीकरण
184	ब्रजेन्द्र कुमार	इटावा	18-09-1963	एम0टेक0	अनु0 जाति	4162	25-04-1985	23-02-1989	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
185	दिनेश कुमार	वाराणसी	18-09-1961	बी0ई0सिविल	अनु0 जाति	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
186	रामचन्द्र	हरदोई	10-01-1961	बी0टेक0 सिविल	अनु0 जाति	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
187	शिव प्रसाद राम	आजमगढ़	20-06-1957	बी0ई0सिविल	अनु0 जाति	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
188	यज्ञ नारायण सिंह	मिर्जापुर	10-06-1958	बी0ई0सिविल	अनु0 जाति	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
189	विजय कुमार	कानपुर	05-07-1957	बी0ई0सिविल	अनु0 जाति	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
190	सुरेश चन्द्र	इलाहाबाद	07-06-1962	बी0ई0सिविल	अनु0 जाति	4162	25-04-1985	23-02-1989	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
191	राजेन्द्र प्रसाद	वाराणसी	04-12-1959	बी0ई0सिविल	अनु0 जाति	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
192	रूपेश कुमार वर्मा	बुलन्दशहर	13-05-1963	बी0ई0सिविल	अनु0 जाति	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
193	औसाफुर्रहमान खाँ	फर्रुखाबाद	24-08-1963	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	स्व०संग्राम सेनानी के आश्रित	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
194	अजय सिंघल	भरतपुर . राज0	05-06-1961	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	समाज के अक्षम व्यक्ति	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
195	मसीहुद्दीन हसन (से0नि0)	मिर्जापुर	23-10-1954	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
196	अब्दुल वाहिद	अलीगढ़	25-12-1960	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
197	लाल मोहम्मद (से0नि0)	बदायूं	01-01-1955	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
198	जय प्रकाश चौहान	देवरिया	01-03-1962	एम0टेक0	पिछड़ी	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(मृतक)				जा0				विनियमतीकरण
199	मो0मुईनुद्दीन हुसैन	अलीगढ़	01-02-1961	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
200	सुशील कुमार यादव	ग्वालियर . म०प्र०	30-07-1961	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
201	मनोज कुमार	इटावा	05-05-1960	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
202	आदित्य प्रकाश	सीतापुर	10-07-1963	बी0टेक0 सिविल	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
203	नरसिंह नारायण गिरि	बलिया	01-07-1964	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
204	खुशतर जलीस अहमद	फर्रुखाबाद	10-01-1961	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल ,आनर्स	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	23-02-1989	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
205	राजेश कुमार सचान	हमीरपुर	13-12-1962	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
206	सिराजुद्दीन अहमद	अलीगढ़	21-09-1962	बी0टेक0 सिविल	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
207	मो0अकरम	बदायूं	26-06-1962	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	पिछड़ी जा0	4162	25-04-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
208	विपिन कुमार सिंह गौर	हरदोई	07-02-1963	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	23-02-1989	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
209	जिलेदार खां	जौनपुर	05-09-1959	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
210	मदन मोहन गुप्ता	कानपुर	05-07-1960	बी0टेक0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
211	प्रेमदत्त सारस्वत (लि. समाप्त)	अलीगढ़	01-06-1961	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	23-02-1989	सीधी भर्ती, लो0 सेवा आयोग
212	रउफ अहमद	बस्ती	02-05-1957	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
213	नरेन्द्र कुमार (द्वितीय) पुत्र श्री चौ. विशम्भर सिंह	मुजफ्फरनगर	10-01-1960	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
214	मो० इशरत (लि. समाप्त)	सहारपुर	15-12-1957	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
215	खुर्शीद आलम सिद्दीकी	बलिया	04-03-1961	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
216	सैय्यद जव्वार हुसैन	मैनपुरी	11-07-1959	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
217	नरेन्द्र कुमार (प्रथम) पुत्र श्री राम निवास जी	एटा	01-07-1956	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
218	मुकेश गुप्ता	बुलंदशहर	10-08-1962	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
219	कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव	बस्ती	01-07-1961	एम0टेक0	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
220	मो0 मोअज्जम बेग	प्रतापगढ़	30-09-1957	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
221	अखिल खरे (लि. समाप्त)	रीवा . म०प्र०	10-03-1963	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

222	सुधीर कुमार वशिष्ठ (मृतक)	अलीगढ़	01-10-1956	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
223	जितेन्द्र सिंह परमार	रीवा . म०प्र०	16-07-1965	एम0इ0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
224	राजेश गोयल	मेरठ	07-03-1962	बी0टेक0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
225	मो0 रिजवान साबिर	गोण्डा	09-06-1962	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
226	दीन दयाल पाठक	बहराइच	20-01-1959	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
227	शरद वार्ष्णेय (लि. समाप्त)	एटा	01-01-1962	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
228	शैलेन्द्र कुमार गुप्ता	शाहजहांपुर	01-10-1962	बी0टेक0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
229	हरीशंकर दीक्षित (मृतक)	हमीरपुर	07-08-1953	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
230	मो0 असलम अंसारी	जौनपुर	01-04-1960	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
231	नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	सुल्तानपुर	28-02-1957	बी0 टेक0 एग्रीकल्चर ए0एम0आई0ई0	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
232	संजय अग्रवाल	मेरठ	26-06-1961	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
233	रवीन्द्रपति त्रिपाठी (मृतक)	गोरखपुर	15-01-1957	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
234	मो0 नूर आलम	पं. चंपारन - बिहार	10-02-1962	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमतीकरण
235	मनोज कुमार गर्ग	अलीगढ़	15-06-1961	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
236	राजीव कुमार श्रीवास्तव	इलाहाबाद	17-11-1960	बी0 टेक0 एग्रीकल्चर	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
237	अवधेश मणि त्रिपाठी	गोरखपुर	01-07-1961	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
238	नन्द कुमार दुबे	मिर्जापुर	03-10-1960	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
239	फखरुद्दीन खाँ	आजमगढ़	07-02-1959	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
240	सुधीर प्रकाश गुप्ता	सीतापुर	16-05-1960	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
241	आशुतोष (लि. समाप्त)	हरिद्वार	09-09-1962	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
242	राम कुमार श्रीवास्तव	इटावा	28-12-1956	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	27-07-2005	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
243	सुल्तान हैदर कुरैशी (मृतक)	आगरा	01-01-1954	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
244	बालकृष्ण	हाथरस	07-07-1959	बी0ई0सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
245	इकरामुल हक खाँ	गाजीपुर	29-07-1961	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
246	दबीरूद्दीन	बाराबंकी	15-03-1958	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	27-07-2005	सीधी भर्ती

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

247	आफताब अहमद खाँ	फर्रुखाबाद	04-05-1962	एम0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	101	12-06-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
248	राम नाथ सोनकर	आजमगढ़	11-12-1963	बी0टेक0 सिविल	अनु0 जाति	2340	17-10-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
249	जगदीश प्रसाद	जालौन	12-05-1962	बी0 टेक0 एग्रीकल्चर	अनु0 जाति	2340	17-10-1985	23-02-1989	सीधी भर्ती, लो0 से0 आयोग
250	सत्य प्रकाश गुप्ता	अलीगढ़	31-05-1958	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	2340	17-10-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
251	परवेज अली खाँ	अलीगढ़	07-10-1959	बी0इ0सिविल	सामान्य	2340	17-10-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
252	जाकिर अली खाँ	बुलंदशहर	01-01-1956	बी0ई0सिविल	सामान्य	2340	17-10-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
253	महेश चन्द्र शर्मा	एटा	20-01-1959	बी0ई0सिविल	सामान्य	2340	17-10-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
254	कमर अहमद	हरदोई	25-03-1960	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	2340	17-10-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
255	सुरेश कुमार दीक्षित	इटावा	15-02-1957	बी0ई0सिविल	सामान्य	2340	17-10-1985	14-12-1989	सीधी भर्ती, विनियमितीकरण
256	मंयक वार्ष्णेय(लि. समाप्त)	अलीगढ़	10-09-1964	बी0ई0सिविल	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
257	बृजेश कुमार दुबे	मिर्जापुर	30-06-1960	एम0टेक0	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
258	कुशलवीर सिंह	बुलन्दशहर	04-01-1964	एम0एस0सी0 इन्जी,सिविल	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
259	बिजेन्द्र कुमार	सहारनपुर	01-07-1961	बी0ई0सिविल	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
260	राशिमणि मिश्रा	रीवा (म0प्र0)	18-01-1961	बी0 टेक0 सिविल	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
261	वीरपाल राजपूत	हमीरपुर	21-01-1964	एम0टेक0	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
262	अनिल कुमार शर्मा	सहारनपुर	20-04-1965	बी0ई0सिविल	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
263	राम प्रसाद राम	वाराणसी	03-01-1964	ए0एम0आई0इ0	पिछड़ी जा0	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
264	ललित गुप्ता	अलवर (राज0)	18-02-1960	बी0ई0सिविल	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
265	परवेज	बदायूं	04-08-1960	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
266	जग भूषण शर्मा	बुलन्दशहर	01-09-1963	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल ,आनर्स	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
267	विजय कुमार दूबे	सतना (म0प्र0)	16-12-1963	बी0इ0सिविल आनर्स	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
268	विष्णु कुमार	आगरा	29-02-1964	बी0इ0सिविल	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
269	रियाज अहमद सिद्दीकी	सीतापुर	16-05-1964	एम0टेक0	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
270	नीरज कुमार	मुजफ्फरन गर	05-01-1965	एम0इ0	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
271	हसनैन अहमद	एटा	03-01-1960	एम0टेक0	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
272	अनिल कुमार सक्सेना	इटावा	15-05-1961	एम0टेक0	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
273	मो0 कुद्दूस अंसारी	वाराणसी	28-02-1963	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
274	देवेन्द्र बाल्यान	मुजफ्फरन गर	02-06-1963	बी0ई0सिविल	विकलांग	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
275	शिव लाल (से0नि0)	कानपुर	24-07-1955	बी0टेक0 सिविल	अनु0	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					जाति				
276	अशोक कुमार	मैनपुरी	01-01-1964	बी0ई0सिविल	अनु0 जाति	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
277	हरेन्द्र सिंह	बलिया	15-07-1964	बी0ई0सिविल	सामान्य	1008	23-02-1989	23-02-1989	लो0 सेवा आयोग
278	देवेन्द्र सिंह (मृतक)	उरई	02-01-1953	बी0ई0सिविल	सामान्य	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
279	अशोक कुमार माथुर	लखीमपुर	02-06-1958	बी0ई0सिविल	सामान्य	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
280	राज कुमार वर्मा	गाजीपुर	01-10-1957	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
281	बनवारी लाल (से0नि0)	अलीगढ़	21-01-1954	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
282	करन पाल सिंह	अलीगढ़	01-09-1956	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	पिछड़ी जा0	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
283	एस0 बी0 सिंह	सासाराम बिहार	08-12-1956	बी0ई0सिविल	सामान्य	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
284	त्रियुगी नारायण सिंह	मऊ	01-07-1960	बी0ई0सिविल	सामान्य	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
285	आनन्द कृष्ण शुक्ला (से0नि0)	हरदोई	28-11-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
286	मदन पाल सिंह (से0नि0)	शाहजहांपुर	30-04-1955	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
287	एस0ए0एच0 रिजवी	लखनऊ	11-02-1957	डिप0इं0सिविल	सामान्य	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
288	अजय आर्या (से0नि0)	कानपुर	18-07-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
289	विनोद कुमार राय (मृतक)	गाजीपुर	01-10-1957	बी0ई0सिविल	सामान्य	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
290	अशोक कुमार गुप्ता	इलाहाबाद	07-07-1960	बी0टेक0 सिविल	सामान्य	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
291	शैलेन्द्र कुमार सिंह	बलिया	01-01-1961	बी0ई0सिविल	सामान्य	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
292	त्रिलोकीनाथ राय	गाजीपुर	15-01-1961	बी0टेक0 सिविल	सामान्य	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
293	मायाराम वर्मा	फैजाबाद	07-07-1960	बी0टेक0 सिविल	पिछड़ी जा0	30	12-01-1994	12-01-1994	वि० बैंक ०स०
294	ईशम सिंह	हरिद्वार	22-06-1968	बी0टेक0 सिविल	अनु0 जाति	836	02-03-2000	02-03-2000	लोक सेवा आ०
295	रविकान्त वर्मा	बुलन्दशहर	05-07-1972	बी0टेक0 सिविल	अनु0 जाति	836	02-03-2000	02-03-2000	लोक सेवा आ०
296	राजित राम	सुल्तानपुर	17-01-1961	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
297	यशवीर सिंह (से0नि0)	लखनऊ	01-07-1955	बी0ई0सिविल	सामान्य	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0 (डिग्री कोटा)
298	मुनेश पाल सिंह	अलीगढ़	15-06-1959	बी0ई0सिविल	सामान्य	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0,डिग्री कोटा
299	अशोक	हरदोई	16-07-1962	बी0ई0सिविल	सामान्य	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0 (डिग्री कोटा)
300	सुधीश कुमार त्यागी	मुजफ्फरनगर	10-04-1960	बी0ई0सिविल	सामान्य	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
301	सै0 हैदर मेंहदी जैदी (से0नि0)	लखनऊ	08-01-1954	बी0ई0सिविल	सामान्य	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
302	अब्दुल मुईन खाँ (डि0 कोटा)	बुलन्दशहर	05-06-1958	बी0ई0सिविल	सामान्य	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
303	वाजिद अली खाँ	अलीगढ़	01-07-1957	बी0ई0सिविल	सामान्य	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
304	मो0 इरफान	अलीगढ़	02-01-1960	बी0ई0सिविल	सामान्य	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0(डिग्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

									कोटा)
305	जियाउर रहमान खाँ	हमीरपुर	28-07-1960	बी0ई0सिविल	सामान्य	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
306	राकेश कुमार जैन	मेरठ	02-10-1963	बी0ई0सिविल	सामान्य	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
307	राजेन्द्र सिंह	एटा	10-10-1962	ए0एम0आई0ई0	पिछड़ी जा0	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
308	बाबू राम साहू	कानपुर	21-10-1961	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
309	जवाहर सिंह	अलीगढ़	13-12-1961	बी0ई0सिविल	अनु जाति	3220	27-05-2000	27-05-2000	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
310	शिव शंकर	बस्ती	27-12-1962	ए0एम0आई0ई0	सामान्य	1229	27-03-2002	27-03-2002	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
311	परवेज अख्तर	अलीगढ़	18-01-1961	बी0ई0सिविल	पिछड़ी जा0	3220	08-12-2000	08-12-2000	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
312	राजेन्द्र सिंह	अलीगढ़	01-02-1963	बी0ई0सिविल	अनु जाति	3220	28-04-2001	28-04-2001	लो0से0आ0(डिग्री कोटा)
313	बृजेन्द्र कुमार (से0नि0)	बुलन्दशहर	30-09-1951	डिप0इं0सिविल	अनु जाति		26-03-2002	26-03-2002	पदोन्नति
314	सै0 हैदर मेंहदी रिजवी	सिद्धार्थनगर	01-07-1958	बी0एस0सी0 इंजी0 सिविल	सामान्य	1480	02-05-2002	02-05-2002	सीधी भर्ती
315	आफताब अहमद	संतकबीरनगर	15-01-1958	बी0टेक0 सिविल	सामान्य	1480	02-05-2002	02-05-2002	सीधी भर्ती
316	जगदीश नारायण श्रीवास्तव	महाराजगंज	01-08-1962	बी0ई0सिविल	सामान्य	1480	02-05-2002	02-05-2002	सीधी भर्ती
317	तौकीर अहमद खां	सीतापुर	01-05-1959	बी0ई0सिविल	सामान्य	1480	02-05-2002	02-05-2002	सीधी भर्ती
318	महफूज अली (से0नि0)	शाहजहांपुर	06-01-1951	डिप0इं0सिविल	सामान्य		19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
319	ब्रह्मेश्वर प्रसाद पाण्डेय (से0नि0)	शाहाबाद	01-04-1951	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
320	राम प्यारे सिंह (से0नि0)	शाहाबाद	09-07-1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
321	इन्द्रदेव प्रसाद (से0नि0)	नालन्दा	20-06-1951	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
322	जय प्रकाश नारायण (से0नि0)	रोहताश	05-01-1950	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
323	सुशील कुमार श्रीवास्तव (से0नि0)	गोण्डा	15-07-1951	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
324	जितेन्द्र नाथ उपाध्याय (से0नि0)	लखनऊ	06-03-1951	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
325	सुशील कुमार कुलश्रेष्ठ (से0नि0)	आगरा	26/12/1949	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
326	जितेन्द्र कुमार दीक्षित (से0नि0)	फर्रुखाबाद	15-07-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
327	अशोक वर्मा	लखनऊ	27-09-1956	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
328	रमा प्रकाश सिंह (से0नि0)	गोरखपुर	10-01-1952	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
329	नियाज अहमद	इलाहाबाद	12-07-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
330	बलवंत सिंह (से0नि0)	वाराणसी	01-07-1950	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
331	आनन्द देव श्रीवास्तव (से0नि0)	बलिया	01-07-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

332	मोहन चन्द्र	इलाहाबाद	06-04-1956	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
333	रामचन्द्र शुक्ला	इलाहाबाद	01-01-1957	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
334	सुरेन्द्र प्रसाद (से0नि0)	मुंगेर	12-07-1950	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
335	प्रकाश चन्द्र पाण्डेय	बलिया	01-07-1956	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
336	प्रशान्त कृष्ण चतुर्वेदी (से0नि0)	बलिया	01-09-1953	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
337	शिव बदन सिंह (से0नि0)	बलिया	01-07-1951	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
338	अनिल कुमार पाण्डेय (से0नि0)	आजमगढ़	16-09-1953	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
339	मो0 हनीफ (से0नि0)	लखीमपुर खीरी	01-11-1953	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
340	हरीचन्द्र (से0नि0)	मिर्जापुर	01-01-1955	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
341	महेन्द्र मोहन त्रिपाठी (से0नि0)	प्रतापगढ़	08-07-1955	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
342	चन्द्रभान शर्मा (से0नि0)	बुलन्दशहर	01-08-1955	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
343	बालेश्वर प्रसाद यादव (से0नि0)	गया (बिहार)	12-02-1950	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
344	रविन्द्र प्रसाद सिंह (से0नि0)	सहरसा (बिहार)	15-07-1951	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
345	मो0 वली (से0नि0)	पीलीभीत	15-08-1954	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
346	अब्दुल मजीद (से0नि0)	गोरखपुर	10-05-1953	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
347	राम आसरे सिंह (से0नि0)	देवरिया /कुशी नगर	01-02-1954	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
348	गुलाम रसूल	अलीगढ़	05-07-1956	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
349	गिरीश चन्द्र (से0नि0)	आजमगढ़	09-08-1949	डिप०इं०सिविल	सामान्य	1338	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
350	भगवान प्रसाद सिंह (से0नि0)	छपरा	02-01-1951	डिप०इं०सिविल	सामान्य		19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
351	कृपाल सिंह वर्मा (से0नि0)	बाराबंकी	08-06-1955	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा0	1321	19-05-2009	19-05-2009	पदोन्नति
352	बाबूराम भाष्कर (से0नि0)	फर्रुखाबाद	01-01-1951	डिप०इं०सिविल	सामान्य	4310	30-12-2010	30-12-2010	पदोन्नति
353	पद्माकर दुबे (से0नि0)	बलिया	05-07-1952	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
354	कृष्ण कुमार तिवारी (से0नि0)	बलिया	02-07-1953	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
355	सत्य प्रकाश गुप्ता (से0नि0)	सीतापुर	31-12-1954	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
356	अवध राम वर्मा (से0नि0)	लखनऊ	09-07-1952	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
357	ब्रजेश तिवारी (से0नि0)	इलाहाबाद	11-08-1952	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
358	अहमद फसीह सिद्दीकी (से0नि0)	गाजीपुर	09-01-1953	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
359	अन्तराम (से0नि0)	आगरा	23-12-1953	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
360	सुधीर किशोर (से0नि0)	लखनऊ	01-05-1955	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
361	विजय कुमार (से0नि0)	बेगुसराय	01-10-1952	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
362	गौरी शंकर राय (से0नि0)	बलिया	01-11-1954	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
363	राजाराम चौधरी (से0नि0)	बस्ती	01-01-1955	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
364	देवेन्द्र कुमार	बलिया	22-11-1957	डिप०इं०सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

365	प्रवीण कुमार (से0नि0)	मुरादाबाद	24-06-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
366	विंध्यांचल वर्मा (से0नि0)	लखनऊ	25-06-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
367	कैलाश मोहन श्रीवास्तव (से0नि0)	गोरखपुर	25-03-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
368	दीपक गंगोत्रा (मृतक)	दिल्ली	07-10-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
369	भगवन सिंह (से0नि0)	अलीगढ़	01-01-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
370	अब्बास अली (से0नि0)	बस्ती	01-11-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
371	नियामत उल्लाह अंसारी	गोण्डा	16-12-1957	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
372	शाबिर अली (से0नि0)		15-07-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
373	अवधेश कुमार त्रिपाठी (से0नि0)		01-08-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
374	दया शंकर लाल (से0नि0)		12-01-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
375	भारत लाल श्रीवास्तव	वाराणसी	01-05-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
376	राज किशोर कटियार (से0नि0)	कानपुर	30-07-1952	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
377	मानिक चन्द्र (से0नि0)	मीरजापुर	26-09-1952	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
378	वंशराज (से0नि0)	बस्ती	15-01-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
379	कृष्ण कुमार शाही (से0नि0)	देवरिया	01-02-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
380	ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव (से0नि0)	बस्ती	05-06-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
381	शेर पाल सिंह (मृतक)	बुलन्दशहर	01-01-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
382	शरीफ अहमद सिद्दीकी	देवरिया	01-07-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
383	राम चन्द्र पाण्डेय (से0नि0)	वाराणसी	07-08-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
384	जीतेन्द्र सिंह	लखनऊ	15-08-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
385	राम चन्द्र मौर्य (से0नि0)	बस्ती	12-01-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
386	सतीश चन्द्र श्रीवास्तव (से0नि0)	.	01-01-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
387	लालसा यादव (से0नि0)	आजमगढ़	01-10-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
388	मधुसूदन त्रिपाठी (से0नि0)	बस्ती	03-06-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
389	अनिल कुमार जैन (से0नि0)	मु. नगर	20-07-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
390	जगदीश	बस्ती	01-05-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
391	कन्हैया लाल चौरसिया (से0नि0)	मीरजापुर	01-08-1955	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
392	देवेन्द्र सिंह (से0नि0)	बलिया	22-07-1952	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
393	सतीश चन्द्र श्रीवास्तव (से0नि0)	फैजाबाद	11-11-1952	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
394	तौकीर अहमद खां (से0नि0)	रायपुर	02-01-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
395	अभिमन्यु सिंह (से0नि0)	लखनऊ	04-07-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
396	श्याम किशोर मिश्रा (से0नि0)	सीतापुर	11-09-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
397	सत्यदेव मिश्रा (से0नि0)	सीतापुर	05-07-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
398	जय प्रकाश मिश्रा	गोरखपुर	01-03-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
399	शिवानन्द सिंह (से0नि0)	महोबा	07-08-1952	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

400	रमाकांत चौधरी (से0नि0)	देवरिया	15/12/1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
401	सुदामा जी गुप्ता (से0नि0)	बलिया	16/04/1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
402	मिर्ज़ा मोहम्मद अख्तर (से0नि0)	इलाहाबाद	07-08-1952	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
403	समीउल्लाह (से0नि0)	बस्ती	01-01-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
404	राम संवारे (से0नि0)	बस्ती	01-01-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
405	शिवानन्द सिंह (से0नि0)	आजमगढ़	02-04-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
406	राम सेवक गुप्ता	रायबरेली	01-09-1961	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
407	देश दीपक गुप्ता	हरदोई	25/01/1961	डिप0इं0सिविल	सामान्य	2335	28-07-2012	28-07-2012	पदोन्नति
408	सत्यपाल सिंह (से0नि0)	फैजाबाद	01-07-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
409	राम जतन प्रसाद (से0नि0)	देवरिया	14/07/1955	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
410	इंद्र बहादुर सिंह (से0नि0)	देवरिया	01-01-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
411	अब्दुल गफ्फार खां (से0नि0)	बुलन्दशहर	02-05-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
412	अनवर हुसैन (से0नि0)	गाजीपुर	09-07-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
413	जगदीश सिंह पवार (से0नि0)	मेरठ	01-05-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
414	अतिकुर्रहमान (से0नि0)	बिजनौर	01-07-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
415	दिनेश चन्द्र मिश्र (से0नि0)	वाराणसी	26/08/1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
416	संत कुमार वर्मा	बलिया	14/08/1956	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
417	कुवर बहादुर पटेल (से0नि0)		05-06-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
418	सुरेन्द्र कुमार सक्सेना (से0नि0)	पीलीभीत	30-01-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
419	अक्षय कुमार सिंह (से0नि0)	बलिया	20-10-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
420	नियाज़ुद्दीन (से0नि0)	वाराणसी	29-12-1953	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
421	राम सेवक (से0नि0)	मैनपुरी	15-01-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
422	छितेश्वर नाथ पाण्डेय (से0नि0)	बलिया	24-03-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
423	किशन सिंह वर्मा (से0नि0)	आगरा	01-04-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
424	जगदीश सिंह यादव (से0नि0)	लखनऊ	01-08-1955	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
425	राकेश कुमार श्रीवास्तव (से0नि0)	गोरखपुर	01-01-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
426	शिव शंकर सिंह	गाजीपुर	15/07/1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
427	दयानन्द वर्मा (से0नि0)	फर्रुखाबाद	01-08-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
428	हरगोविंद यादव	सीतापुर	05-03-1958	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
429	यदुनाथ सिंह	इटावा	12-07-1956	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
430	बलराम सिंह (से0नि0)	बिजनौर	10-11-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

431	वरुनेश कुमार त्रिपाठी (से0नि0)	गोरखपुर	01-01-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	3933	30-10-2013	30-10-2013	पदोन्नति
432	पूरन मल (से0नि0)	फर्रुखाबाद	01-10-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
433	राकेश कुमार	इलाहाबाद	01-12-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
434	शशि कुमार जैन (से0नि0)	सुल्तानपुर	01-08-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
435	महेंद्र कुमार सिंह (से0नि0)	इटावा	10-09-1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
436	सतीश मित्तल	इलाहाबाद	01-04-1957	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
437	राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	बस्ती	11-12-1956	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
438	प्रमोद कुमार द्विवेदी	बाराबंकी	01-03-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
439	सुरेश कुमार पाण्डेय	हमीरपुर	02-06-1958	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
440	महेंद्र देव दीक्षित	मैनपुरी	01-06-1957	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
441	परशुराम पाण्डेय	बलिया	05-10-1958	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
442	रूद्र पाल सिंह (से0नि0)	सीतापुर	22-02-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
443	अशोक कुमार उपाध्याय (से0नि0)	बलिया	01-01-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
444	अशोक कुमार गुप्ता (से0नि0)	मेरठ	01-01-1956	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
445	अबुल्लैस अंसारी (से0नि0)	वाराणसी	03-01-1956	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
446	राकेशधर त्रिपाठी (से0नि0)	फैजाबाद	10-06-1955	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
447	हरिओम	मेरठ	01-07-1957	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
448	दिलशाद हुसैन (से0नि0)	फर्रुखाबाद	31/12/1954	डिप0इं0सिविल	सामान्य	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
449	बलराम कटियार		04-10-1960	डिप0इं0सिविल	पिछड़ी जा0	23	30-09-2014	30-09-2014	पदोन्नति
450	दिनेश सिंह	फिरोजाबाद	05-03-1971	बी०ई०सिविल	पिछड़ी जा0	25	16-10-2014	16-10-2014	लोक सेवा0आ0
451	ज्ञानेन्द्र कुमार	रायबरेली	01-02-1979	बी०ई०सिविल	पिछड़ी जा0	25	16-10-2014	16-10-2014	लोक सेवा0आ0
452	अरुण कुमार वर्मा	गोरखपुर	04-03-1974	बी०ई०सिविल	पिछड़ी जा0	15	16-02-2015	16-02-2015	लोक सेवा0आ0
453	नूर आलम	वारणसी	20-05-1982	बी०ई०सिविल	पिछड़ी जा0	15	16-02-2015	16-02-2015	लोक सेवा0आ0
454	अरविन्द कुमार	अम्बेडकर नगर	01-02-1974	बी0टेक0 सिविल	पिछड़ी जा0	25	16-10-2014	16-10-2014	लोक सेवा0आ0
455	श्रीकृष्ण जायसवाल	पतापगढ़	02-08-1971	बी0टेक0 सिविल	पिछड़ी जा0	25	16-10-2014	16-10-2014	लोक सेवा0आ0
456	कुवर सुरेन्द्र प्रताप	फैजाबाद	02-02-1985	बी0टेक0 सिविल	अनु जाति	25	16-10-2014	16-10-2014	लोक सेवा0आ0
457	मुनेश कुमार लोधी	अलीगढ़	16-12-1982	बी0टेक0 सिविल	पिछड़ी जा0	25	16-10-2014	16-10-2014	लोक सेवा0आ0
458	हबीबुल्लाह	जौनपुर	15-04-1969	बी०ई०सिविल	पिछड़ी जा0	25	16-10-2014	16-10-2014	लोक सेवा0आ0
459	विनोद कुमार	रामपुर	04-04-1983	बी०ई०सिविल	अनु जाति	15	16-02-2015	16-02-2015	लोक सेवा0आ0
460	रजनीश कुमार	इलाहाबाद	28-09-1983	बी०ई०सिविल	अनु जाति	15	16-02-2015	16-02-2015	लोक सेवा0आ0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

461	दुष्यंत प्रताप सिंह	मैनपुरी	29-04-1986	बी०ई०सिविल	सामान्य	25	16-10-2014	16-10-2014	लोक सेवा०आ०
462	शिवा शिव शरण मिश्र	गोण्डा	15/06/1958	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
463	ब्रहमादीन मिश्र (से0नि0)	इलाहाबाद	15/07/1955	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
464	राजेन्द्र प्रसाद	लखनऊ	20/03/1956	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
465	वीरेंद्र बहादुर सिंह	बलिया	01-10-1956	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
466	महेंद्र सिंह	बस्ती	01-01-1956	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
467	दया शंकर राय	गाजीपुर	01-07-1957	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
468	दया राम (से0नि0)	बस्ती	29/07/1955	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा०	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
469	जावेद अहमद खान	गाजीपुर	01-05-1956	बी०ई०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
470	मो0 इस्लाम	बस्ती	01-07-1956	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
471	मरगूब अहमद	इलाहाबाद	04-01-1958	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
472	विमल कुमार	बाराबंकी	02-01-1957	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा०	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
473	रमाकांत पाठक (से0नि0)	आजमगढ़	15-08-1955	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
474	उमाशंकर (से0नि0)	गोण्डा	20-07-1955	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा०	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
475	जय प्रकाश जायसवाल	कानपुर	18-02-1957	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
476	नफीसुर्रहमान (से0नि0)	अलीगढ़	05-07-1955	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
477	राज किशोर पाण्डेय	सुल्तानपुर	15-06-1957	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
478	नरेन्द्र सिंह	बिजनौर	03-06-1956	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
479	अनिल कुमार सक्सेना	मैनपुरी	12-07-1959	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
480	शिव सरन सिंह (से0नि0)	कौशाम्बी	12-12-1955	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा०	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
481	मो0 युनुस	बस्ती	05-01-1959	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
482	भैया लाल	वाराणसी	15-09-1956	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा०	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
483	शब्बीर खां	बांदा	03-08-1957	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
484	सुधाकर त्रिपाठी	प्रतापगढ़	26-01-1958	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
485	संत सेवक प्रसाद	महराजगंज	01-07-1957	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा०	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
486	सरोज कुमार	वाराणसी	01-10-1957	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा०	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
487	बनवारी सिंह (से0नि0)	बदायूं	08-07-1955	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा०	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
488	लला सिंह	इटावा	10-01-1957	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा०	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
489	मंगला प्रसाद	जौनपुर	12-01-1958	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा०	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
490	रविन्द्र चन्द्र	बस्ती	26-12-1958	डिप०इं०सिविल	पिछड़ी जा०	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
491	संतोष कुमार राय (से0नि0)	गाजीपुर	01-01-1956	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
492	रमाकांत	मीरजापुर	02-06-1956	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति
493	विनोद कुमार श्रीवास्तव (से0नि0)	गोरखपुर	02-07-1955	डिप०इं०सिविल	सामान्य	77	09-07-2015	09-07-2015	पदोन्नति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अजय कुमार सिंह
सचिव,
ग्रामीण अभियंत्रणा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।